



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16122024-259451
CG-MH-E-16122024-259451

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 992]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2024/ अग्रहायण 25, 1946
No. 992]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2024/ AGRAHAYANA 25, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 16 दिसम्बर, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/221.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्—

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे:

परंतु यह कि इन संशोधन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम I, II और VI राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से नब्बवें दिन से लागू होंगे:

परंतु यह और कि इन संशोधन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम IV और V 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में,—

- I. अध्याय-II में, विनियम 11 में, शब्दों “में निर्दिष्ट” के स्थान पर शब्द तथा अंक “या विनियम 81 में दिए हुए” आ जाएँगे।
- II. अध्याय-IV में, विनियम 23 में, शब्दों तथा अंकों “जहां अनुमोदन दिए जाने के लिए विनियम 19 के अधीन आवेदन विनियम 21 में अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है वहां” के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न “जहाँ विनियम 19 के तहत मंजूरी (अनुमोदन) प्रदान किए जाने हेतु किया गया कोई आवेदन विनियम 21 और विनियम 86 में दिए हुए पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा न करता हो, वहाँ” आ जाएँगे।
- III. विनियम 29क में,—
 - (i) उप-विनियम (1) में, शब्दों तथा चिह्नों “नामनिर्दिष्ट करने का विकल्प उपलब्ध करायेगी, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में, व्यक्ति का जिसमें उसकी मृत्यु की दशा में उसके द्वारा धारित यूनिट निहित होंगे” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ऐसे किसी व्यक्ति को, उसी प्रकार जैसा समय-समय पर बताया जाए, नामित करने का विकल्प प्रदान करेगी, जिसे यूनिटधारक की मृत्यु हो जाने की दशा में यूनिटधारक के पास पड़ी यूनिटें मिल जाएँगी” आ जाएँगे।
 - (ii) मौजूदा उप-विनियम (2) अब उप-विनियम (3) बन जाएगा।
 - (iii) उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“(2) यूनिटधारक के पास ऐसे किसी व्यक्ति को, उसी प्रकार जैसा बताया जाए, नामित करने का विकल्प होगा, जो यूनिटधारक के अक्षम हो जाने की दशा में यूनिटधारक की ओर से लेनदेन (ट्रांजैक्शन) करने के लिए अधिकृत होगा।”
 - (iv) उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“(4) यूनिटधारक द्वारा किए गए नामांकन के आधार पर यदि कुछ किया जाता है, तो उसके लिए असेट मैनेजमेंट कंपनी (आस्ति प्रबंध कंपनी) या रजिस्ट्रार टू एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) जिम्मेदार नहीं होंगे।”
- IV. अध्याय-VI में, विनियम 43 में, उप-विनियम (7) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—

“(8) किसी ‘विशेष निवेश फंड’ (स्पेशलाइज़्ड इन्वेस्टमेंट फंड) की ‘निवेश योजना’ (इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी) के तहत जुटाई गई रकम का निवेश विनियम 49 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।”

V. अध्याय VI-ख के बाद, निम्नलिखित अध्याय और विनियम जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“अध्याय VI-ग

‘विशेष निवेश फंड’ (स्पेशलाइज़्ड इन्वेस्टमेंट फंड)

परिभाषाएँ:

49प. इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, नीचे जिन शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं उनका अर्थ निम्नानुसार ही रहेगा, जब तक कि उनका संदर्भ कुछ और न हो-

क) “अक्रेडिटिड निवेशक” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 [सेबी (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स) रेग्यूलेशन्स, 2012] के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (कख) में इसके लिए दिया हुआ है;

ख) ‘विशेष निवेश फंड’ (स्पेशलाइज़्ड इन्वेस्टमेंट फंड) का अर्थ है - वह म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) जिसकी परिभाषा इन विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (थ) में दी हुई है, और जिस पर ऐसी दूसरी शर्तें भी लागू होंगी जिनका जिक्र इस अध्याय में किया गया है:

परंतु यह कि विनियम 9 के तहत रजिस्टर म्यूचुअल फंड को ‘विशेष निवेश फंड’ के अंतर्गत कोई ‘निवेश योजना’ (इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी) लाने के लिए अलग से ट्रस्ट (न्यास) बनाने की जरूरत नहीं होगी।

ग) ‘निवेश योजना’ (इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी) का अर्थ है - ‘विशेष निवेश फंड’ के अंतर्गत लाई गई म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम।

लागू होना:

49फ. (1) इस अध्याय के प्रावधान ‘विशेष निवेश फंड’ पर लागू होंगे।

(2) जब तक कि संदर्भ कुछ और न हो, तब तक इन विनियमों के अन्य सभी प्रावधान और उनके तहत जारी किए गए दिशानिर्देश तथा परिपत्र (सर्कुलर) ‘विशेष निवेश फंड’ तथा उसके अंतर्गत लाई गई ‘निवेश योजना’ पर, ऐसी ‘निवेश योजना’ के संबंध में न्यासियों (ट्रस्टीज) और असेट मैनेजमेंट कंपनियों पर लागू होंगे, किंतु यदि उनके संबंध में इस अध्याय के तहत अलग से कुछ और प्रावधान किए गए हों, तो वे प्रावधान लागू होंगे।

मंजूरी लेने संबंधी अपेक्षाएँ :

49ब. (1) विनियम 9 के तहत रजिस्टर म्यूचुअल फंड को बोर्ड द्वारा बताए गए तरीके से ‘विशेष निवेश फंड’ बनाने की मंजूरी दी जा सकेगी, और जिसके लिए उसे बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए पात्रता संबंधी मानदंडों पर खरा उतरना होगा।

‘विशेष निवेश फंड’ के संबंध में शर्तें:

49भ. (1) ‘विशेष निवेश फंड’ किसी भी निवेशक से सभी निवेश योजनाओं के तहत दस लाख रुपये से कम का निवेश (हर ‘निवेश योजना’ में निवेश की गई रकम को मिलाकर) स्वीकार नहीं करेगा और जो उसी तरीके से लिया जाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए:

परंतु यह कि निवेश की न्यूनतम रकम का यह प्रावधान “अक्रेडिटिड निवेशक” पर लागू नहीं होगा।

(2) ‘विशेष निवेश फंड’ के फंड मैनेजर (निधि प्रबंधक) के पास राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.) का वह प्रमाणपत्र होना चाहिए, जिसके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(3) इन विनियमों के तहत म्यूचुअल फंड की स्कीमों पर लागू सभी प्रावधान तब तक 'विशेष निवेश फंड' के अंतर्गत लाई गई 'निवेश योजना' पर भी लागू होंगे, जब तक कि कुछ और उल्लेख न कर दिया जाए।

'निवेश योजना' लाने की प्रक्रिया:

49म. (1) 'विशेष निवेश फंड' के अंतर्गत 'निवेश योजना' वही प्रक्रिया अपनाकर लाई जाएगी, जो विनियम 28 के अनुसार म्यूचुअल फंड की स्कीमें लाए जाने के मामले में अपनाई जाती है:

परंतु यह कि 'विशेष निवेश फंड' ऐसी 'निवेश योजना' उसी प्रकार ला सकेगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(2) 'विशेष निवेश फंड' के अंतर्गत 'निवेश योजना' 'ओपन-एंडेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी' (असीमित अवधि वाली निवेश योजना) या 'क्लोज-एंडेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी' (सीमित अवधि वाली निवेश योजना) या 'इंटरवल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी' के रूप में लाई जाएगी, और साथ ही प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में यह साफ-साफ बताना (डिक्लोज़ करना) होगा कि पैसा कब-कब लगाया (सब्सक्राइब किया) जाए सकेगा और कब-कब निकाला जा सकेगा (रिडीम किया जा सकेगा)।

(3) 'विशेष निवेश फंड' के अंतर्गत लाई गई 'निवेश योजना' के मामले में उतनी ही फीस और खर्चों की उतनी ही रकम ली जाएगी, जैसा इन विनियमों के विनियम 52 में बताया गया है।

कहाँ-कहाँ निवेश किया जा सकता है:

49य. (1) 'विशेष निवेश फंड' अपनी किसी भी 'निवेश योजना' के तहत जुटाई गई रकम का निवेश उन इंस्ट्रूमेंट्स (लिखतों) में कर सकेगा, जिनमें निवेश करने की अनुमति म्यूचुअल फंड स्कीमों को विनियम 43 के उप-विनियम (1) में दी गई है:

परंतु यह कि 'विशेष निवेश फंड' द्वारा निवेश उसी तरह से किया जाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

(2) विनियम 49य के उप-विनियम (1) के तहत कोई भी निवेश करते समय उन पाबंदियों को ध्यान में रखा जाएगा, जिनका जिक्र विनियम 49कक में किया गया है।

निवेश पर पाबंदियाँ:

49कक. (1) 'विशेष निवेश फंड' के अंतर्गत कोई 'निवेश योजना' अपनी एन.ए.वी. के 20% से ज्यादा का निवेश उन डेट इंस्ट्रूमेंट्स (ऋण लिखतों) [जिनमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स (मुद्रा बाजार लिखतें) और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स से इतर इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं] में नहीं करेगी, जो एक ही इश्युअर (निर्गमकर्ता) द्वारा जारी किए गए हों, और जिन्हें किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जो अधिनियम के तहत इस तरह की रेटिंग देने के लिए प्राधिकृत हो) द्वारा इनवेस्टमेंट ग्रेड से नीचे की रेटिंग न दी गई हो। निवेश की यह सीमा बढ़ाकर 'निवेश योजना' की एन.ए.वी. के 25% तक की जा सकती है, लेकिन इसके लिए न्यासी मंडल (बोर्ड ऑफ ट्रस्टी) और असेट मैनेजमेंट कंपनी के निदेशक मंडल से पहले ही मंजूरी लेनी होगी:

परंतु यह कि यह सीमा सरकारी प्रतिभूतियों, खजाना बिलों (ट्रेज़री बिल) और सरकारी प्रतिभूतियों या खजाना बिलों (ट्रेज़री बिल) के "ट्राई-पार्टी रेपो" में किए जाने वाले निवेश के मामले में लागू नहीं होगी:

परंतु यह और कि इस सीमा के भीतर निवेश उस सिक्योरिटाइज़्ड डेट (प्रतिभूत ऋण) में किए जा सकते हैं, जिसके लिए कुछ रखा गया हो और जिन्हें बोर्ड से रजिस्टर किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा इनवेस्टमेंट ग्रेड (निवेश श्रेणी) से नीचे की रेटिंग न दी गई हो:

परंतु यह और कि यह सीमा डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों या ऐसे ही दूसरे फंडों (जिनका जिक्र बोर्ड द्वारा समय-समय पर किया जाए) में किए जाने वाले निवेश के मामले में लागू नहीं होगी।

(2) कोई भी 'विशेष निवेश फंड' किसी एक कंपनी के पेड-अप कैपिटल (समादत्त पूँजी) [मताधिकारों वाली] के पंद्रह प्रतिशत से ज्यादा पेड अप कैपिटल में निवेश (अपनी हर 'निवेश योजना' के अंतर्गत किए गए निवेश को मिलाकर) नहीं करेगी:

परंतु यह कि किसी म्यूचुअल फंड की असेट मैनेजमेंट कंपनी या ट्रस्टी (न्यासी) कंपनी में किए जाने वाले निवेश पर विनियम 7ख के उप-विनियम (1) के खंड (क) का प्रावधान लागू होगा:

परंतु यह और कि ऊपर उप-विनियम (2) में जिस सीमा का जिक्र किया गया है, उसमें म्यूचुअल फंड की स्कीमों के लिए तय की गई दस प्रतिशत की वह सीमा भी शामिल होगी जिसका जिक्र सातवीं अनुसूची के खंड-2 में किया गया है।

स्पष्टीकरण: यदि कोई म्यूचुअल फंड किसी कंपनी के पेड-अप कैपिटल (मताधिकारों वाली) के दस प्रतिशत से ज्यादा पेड-अप कैपिटल में (अपनी हर 'निवेश योजना' के अंतर्गत किए गए निवेश को मिलाकर) निवेश करे, तो ऐसे में 'विशेष निवेश फंड' अपनी सभी निवेश योजनाओं के अंतर्गत उस कंपनी के पेड-अप कैपिटल (मताधिकारों वाली) के पाँच प्रतिशत से ज्यादा का निवेश उस कंपनी में नहीं करेगा।

(3) 'विशेष निवेश फंड' की कोई भी 'निवेश योजना' अपनी एन.ए.वी. के 10 प्रतिशत से ज्यादा का निवेश किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों और इक्विटी लिंक्ड इस्ट्रूमेंट्स (इक्विटी संबद्ध लिखतों) में नहीं करेगी।

(4) 'विशेष निवेश फंड' रीट और इनविट की यूनिटों में निवेश कर सकेगा, बशर्ते कि:

(क) कोई भी 'विशेष निवेश फंड' रीट और इनविट के किसी एक ही इश्युअर (निर्गमकर्ता) द्वारा जारी की गई यूनिटों की 20 प्रतिशत से ज्यादा यूनिटों में निवेश (अपनी हर 'निवेश योजना' के अंतर्गत किए गए निवेश को मिलाकर) नहीं करेगा:

परंतु यह कि ऊपर उप-विनियम (4) के खंड (क) में जिस सीमा का जिक्र किया गया है, उसमें म्यूचुअल फंड की स्कीमों के लिए तय की गई 10 प्रतिशत की वह सीमा भी शामिल होगी जिसका जिक्र सातवीं अनुसूची के खंड-13(क) में किया गया है।

(ख) 'विशेष निवेश फंड' के अंतर्गत लाई जाने वाली 'निवेश योजना'—

(i) अपनी एन.ए.वी. के 20 प्रतिशत से ज्यादा का निवेश रीट और इनविट की यूनिटों में नहीं करेगी; और

(ii) अपनी एन.ए.वी. के 10 प्रतिशत से ज्यादा का निवेश किसी एक ही इश्युअर द्वारा जारी की गई रीट और इनविट की यूनिटों में नहीं करेगी:

परंतु यह कि ऊपर उप-खंड (i) और (ii) में जिन सीमाओं का जिक्र किया गया है, वे रीट और इनविट से संबंधित किसी इंडेक्स फंड या सेक्टर विशेष की स्कीम या इंडस्ट्री विशेष की स्कीम के मामले में किए जाने वाले निवेश पर लागू नहीं होगी।

(5) म्यूचुअल फंडों की स्कीमों के मामले में निवेश के संबंध में जो भी दूसरी पाबंदियाँ लागू हैं (जिनका जिक्र सातवीं अनुसूची में किया गया है), वे सभी पाबंदियाँ 'विशेष निवेश फंड' के अंतर्गत लाई जाने वाली 'निवेश योजना' पर लागू होंगी।

असेट मैनेजमेंट कंपनी के कर्तव्य:

49कख. (1) असेट मैनेजमेंट कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि जो 'विशेष निवेश फंड' बनाया जाए उसका स्पष्ट पता चलना चाहिए और वह फंड म्यूचुअल फंड से पूरी तरह से अलग होना चाहिए, ताकि 'विशेष निवेश फंड' के जरिए निवेश की जो रकम जुटाई जाए और म्यूचुअल फंड द्वारा निवेश की जो रकम जुटाई जाए उनके बीच का फर्क साफ-साफ नज़र आना चाहिए।

(2) असेट मैनेजमेंट कंपनी ब्रांडिंग करने, विज्ञापन जारी करने, मानक दावात्याग (स्टैंडर्ड डिस्क्लोज़र) जारी करने, प्रायोजक या असेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड के ब्रांड के नाम का इस्तेमाल करने के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों और एक अलग वेबसाइट बनाए रखने से संबंधित प्रावधानों का पालन करेगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

न्यासी (ट्रस्टी) के कर्तव्य:

49कग. (1) न्यासी (ट्रस्टी) यह सुनिश्चित करेंगे कि निवेश करने और किए गए निवेश का प्रबंधन करने के लिए असेट मैनेजमेंट कंपनी में अनुभवी लोग नियुक्त किए हुए हों, उसके यहाँ आंतरिक स्तर पर नियंत्रण व्यवस्था हो और जोखिम प्रबंधन की भी व्यवस्था आंतरिक स्तर पर अवश्य हो।

(2) न्यासी (ट्रस्टी) यह सुनिश्चित करेंगे कि असेट मैनेजमेंट कंपनी ऐसे अन्य प्रावधानों आदि का पालन करेगी, जो जोखिम प्रबंधन के संबंध में, निवेशक संरक्षण के संबंध में, जानकारी आदि देने (डिस्क्लोज़र करने) के संबंध में और रिपोर्टिंग के संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँ।

(3) न्यासी (ट्रस्टी) यह सुनिश्चित करेंगे कि 'विशेष निवेश फंड' के समस्त कार्य आदि इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार हों।

प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में दी जाने वाली जानकारी (डिस्क्लोज़र) और दी जाने वाली अन्य जानकारी (डिस्क्लोज़र):

49कघ. (1) 'विशेष निवेश फंड' के प्रस्ताव दस्तावेजों (ऑफर डॉक्यूमेंट) में वह समस्त पर्याप्त जानकारी दी जाएगी (वे सभी डिस्क्लोज़र किए जाएंगे), जो निवेशकों के लिए सोच-समझकर निवेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए जरूरी हो (खासकर यह बताना होगा कि इसमें निवेश करना काफी जोखिम भरा है), और ऐसी जानकारी उसी तरह से दी जाएगी जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

(2) 'विशेष निवेश फंड' के संबंध में पोर्टफोलियो की जानकारी (डिस्क्लोज़र) उसी तरह से दी जाएगी, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।”

VI. अध्याय-X के बाद, निम्नलिखित नया अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-XI

म्यूचुअल फंड लाइट

परिभाषाएँ

79. (1) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, नीचे जिन शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं उनका अर्थ निम्नानुसार ही रहेगा, जब तक कि उनका संदर्भ कुछ और न हो -

(क) “न्यासी (ट्रस्टी)” का अर्थ है - वह डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी), जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 के तहत बोर्ड से रजिस्टर हो:

परंतु यह कि यदि कोई मौजूदा प्रायोजक (स्पॉन्सर) अपनी पात्र पैसिव स्कीमों को अपने मौजूदा म्यूचुअल फंड से ‘म्यूचुअल फंड लाइट’ में विनियम 82 के अनुसार लेकर जाता है, तो ऐसे में ‘म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी’ म्यूचुअल फंड के मौजूदा न्यासी (ट्रस्टी) को ‘म्यूचुअल फंड लाइट’ के न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

- (ख) “म्यूचुअल फंड लाइट” या “एमएफ लाइट” का अर्थ है - वह म्यूचुअल फंड, जो इस अध्याय के तहत रजिस्टर हुआ हो और जिसके पास केवल ऐसे इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फंड ऑफ फंड्स (निधियों की निधि) हों या बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित म्यूचुअल फंड की दूसरी स्कीमें हों।
- (ग) “म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी” या “एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी” या “एमएफ लाइट एएमसी” का अर्थ है - ‘म्यूचुअल फंड लाइट’ की वह असेट मैनेजमेंट कंपनी (आस्ति प्रबंध कंपनी), जिसे इस अध्याय के तहत मंजूरी प्रदान की गई हो।
- (घ) “म्यूचुअल फंड लाइट की स्कीम” या “एमएफ लाइट की स्कीम” का अर्थ है - म्यूचुअल फंड लाइट द्वारा लाई गई ऐसी कोई स्कीम या फिर बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित कोई दूसरी पात्र पैसिव स्कीम।

लागू होना

80. (1) इस अध्याय के प्रावधान ‘म्यूचुअल फंड लाइट’ और ‘म्यूचुअल फंड लाइट’ की स्कीमों पर लागू होंगे।

- (2) जब तक इन विनियमों के अन्य सभी प्रावधानों का संदर्भ कुछ और न हो, तब तक वे ‘म्यूचुअल फंड लाइट’, ‘म्यूचुअल फंड लाइट’ की स्कीमों और ऐसे म्यूचुअल फंडों और ऐसी स्कीमों से जुड़े न्यासियों (ट्रस्टी) तथा असेट मैनेजमेंट कंपनियों पर लागू होंगे, लेकिन इन अन्य प्रावधानों में निम्नलिखित प्रावधान और इन विनियमों के तहत जारी किए गए दिशानिर्देश तथा परिपत्र (सर्कुलर) शामिल नहीं हैं:
- i. विनियम 7;
 - ii. विनियम 14;
 - iii. विनियम 15;
 - iv. विनियम 16;
 - v. विनियम 18;
 - vi. विनियम 21 के उप-विनियम (1) के खंड (च) तथा (छ);
 - vii. विनियम 22 का खंड (ग);
 - viii. विनियम 24;
 - ix. विनियम 25;
 - x. विनियम 25क;
 - xi. विनियम 28 का उप-विनियम (1);
 - xii. विनियम 38क;
 - xiii. विनियम 43क;
 - xiv. अध्याय VI-क;
 - xv. अध्याय VI-ख;
 - xvi. विनियम 59;

- xvii. विनियम 59क;
- xviii. तीसरी अनुसूची;
- xix. चौथी अनुसूची; और
- xx. बारहवीं अनुसूची।

पात्रता मानदंड

81. 'म्यूचुअल फंड लाइट' के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु, आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करनी होंगी, अर्थात्,-

- (क) प्रायोजक का पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा हो तथा उसके बारे में आम तौर पर यह राय हो कि समस्त कारोबारी लेनदेनों (ट्रांजैक्शन) में वह पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी बरतता है।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनार्थ, "पिछला रिकॉर्ड अच्छा होने" का अर्थ यह है कि प्रायोजक,-

- (i) यह सुनिश्चित करे कि ठीक पहले के सभी पाँच वर्षों में शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) धनात्मक रही हो; और
- (ii) यह सुनिश्चित करे कि उसे एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी में जितना पैसा लगाना है उससे उसकी धनात्मक लिक्विड नेटवर्थ अधिक रहे, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि शेयर अर्जित किए जाने के कारण यदि मौजूदा असेट मैनेजमेंट कंपनी के नियंत्रण में कोई बदलाव आए, तो ऐसे में या तो प्रायोजक की धनात्मक लिक्विड नेटवर्थ जितनी अधिक रही या फिर उसने जितना पैसा लगाया, वह उन शेयरों के कुल सममूल्य (पार वैल्यू) या बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) [जो भी अधिक हो] के बराबर हो, जितने शेयरों को अर्जित करने का प्रस्ताव किया गया था; और
- (iii) को ठीक पहले के पाँच वर्षों में से तीन वर्षों (पाँचवें वर्ष सहित) में शुद्ध लाभ (मूल्यह्रास, ब्याज और कर की रकम घटाने के बाद) हुआ हो; और
- (iv) को ठीक पहले के पाँच वर्षों में कम से कम पाँच करोड़ रुपये का औसत शुद्ध वार्षिक लाभ (मूल्यह्रास, ब्याज और कर की रकम घटाने के बाद) हुआ हो:

परंतु यह कि खंड (क) के स्पष्टीकरण में जिन अपेक्षाओं का जिक्र किया गया है, यदि वे पूरी नहीं की जाती हैं तो प्रायोजक,-

- (i) एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी में उतना पैसा लगाएगा कि उपरोक्त असेट मैनेजमेंट कंपनी की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पचहत्तर करोड़ रुपये से कम न रहे; और
- (ii) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी में लगाए गए कम से कम पचहत्तर करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर की उसकी शुरुआती शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) तीन वर्षों की अवधि तक लॉक-इन रहे; और
- (iii) एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी में अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति कुछ इस प्रकार करेगा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर), मुख्य संचालन अधिकारी (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर), मुख्य अनुपालन अधिकारी (चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर) और मुख्य निवेश अधिकारी (चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर), इन सबका अनुभव कुल मिलाकर कम से कम बीस वर्षों का हो; और

- (iv) यह सुनिश्चित करेगा कि यदि मौजूदा एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी का अर्जन कर लिया जाता है, तो प्रायोजक की धनात्मक लिक्विड नेटवर्थ उतनी अवश्य रहे जितनी बताई गई है और उसे बढ़ाकर इतना अवश्य कर दिया जाए कि एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षा भी पूरी हो जाए और प्रायोजक की धनात्मक लिक्विड नेटवर्थ या फिर उसने जितना पैसा लगाया, वह उन शेयरों के कुल सममूल्य (पार वैल्यू) या बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) [जो भी अधिक हो] के बराबर हो, जितने शेयरों को अर्जित करने का प्रस्ताव किया गया था;
- (v) यह सुनिश्चित करेगा कि यदि किसी मौजूदा एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी जाती है, तो ऐसे में कम से कम पचहत्तर करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर के शेयर तीन वर्षों तक लॉक-इन रहें; और
- (vi) यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन किया जाए:
- परंतु यह और कि प्राइवेट इक्विटी फंड या पूलड इन्वेस्टमेंट व्हीकल (ऐसी एंटीटी जो अलग-अलग निवेशकों से पैसे इकट्ठा करती है और फिर उसका निवेश करती है) या फिर पूलड इन्वेस्टमेंट फंड (ऐसा कोई फंड जो अलग-अलग निवेशकों से पैसा इकट्ठा करता है और फिर उसका निवेश करता है) को भी म्यूचुअल फंड लाइट का प्रायोजक (स्पॉन्सर) बनने की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि इसके लिए बोर्ड द्वारा समय-समय निर्धारित की गई दूसरी शर्तों का पालन किया जाए।
- (ख) आवेदक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन, 2008] की अनुसूची-II में दिए हुए मानदंडों के अनुसार एक उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है।
- (ग) मौजूदा म्यूचुअल फंड के मामले में, ऐसा फंड न्यास (ट्रस्ट) के रूप में हो और ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) को बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की जा चुकी हो;
- (घ) 'एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की नेटवर्थ (की शुद्ध मालियत) में कम से कम 40% की हिस्सेदारी प्रायोजक (स्पॉन्सर) की हो:
- परंतु यह कि यदि किसी व्यक्ति के पास 'एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की नेटवर्थ के 40% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी हो, तो उसे प्रायोजक (स्पॉन्सर) माना जाएगा और उसे इन विनियमों में दिए हुए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा;
- (ङ) प्रायोजक (स्पॉन्सर) को या 'एमएफ लाइट' के किसी निदेशक को या उसके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) को किसी धोखाधड़ी का दोषी न पाया गया हो या किसी अपराध (जिसमें ऐसा कोई कार्य करना भी शामिल है जो नैतिक रूप से सही न हो) या किसी आर्थिक अपराध का दोषी न पाया गया हो;
- (च) 'एमएफ लाइट' के न्यासियों (ट्रस्टी) के तौर पर डिबेंचर न्यासियों (ट्रस्टी) की नियुक्ति विनियमों (रेग्यूलेशन) के प्रावधानों के अनुसार की जाए;
- (छ) 'एमएफ लाइट' का संचालन करने के लिए और ऐसे फंडों की स्कीम के संचालन के लिए 'एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की नियुक्ति इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाए;

- (ज) 'म्यूचुअल फंड लाइट' के पास पड़ी प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) और अन्य आस्तियों (असेट्स) [जिनके बारे में बोर्ड बताएँ] को सुरक्षित रखने (अभिरक्षा / कस्टडी) के लिए और साथ ही 'म्यूचुअल फंड लाइट' के संचालन हेतु कस्टडी से संबंधित ऐसी ही दूसरी जरूरी सेवाएँ प्रदान करने के लिए कस्टोडियन (अभिरक्षक) की नियुक्ति की जाए।

शेयरहोल्डिंग संबंधी मानदंड

82 (1) इन विनियमों के विनियम 7ख में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, प्रायोजक (स्पॉन्सर) को इन विनियमों के अध्याय-II के तहत म्यूचुअल फंड के रूप में रजिस्टर होने की अनुमति दी जाएगी, और इस अध्याय के तहत 'म्यूचुअल फंड लाइट' के रूप में अलग से रजिस्टर होने की अनुमति भी दी जाएगी, बशर्ते कि उन शर्तों का पालन किया जाए जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ।

(2) इन विनियमों के विनियम 7ख में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, मौजूदा प्रायोजक (स्पॉन्सर) इन विनियमों के तहत अपनी पैसिव स्कीम (जो 'म्यूचुअल फंड लाइट की स्कीम' बनने के लिए पात्र हो) को मौजूदा म्यूचुअल फंड से उस 'म्यूचुअल फंड लाइट' में लेकर जा सकेगा (ट्रांसफर कर सकेगा) जो उसी प्रायोजक (स्पॉन्सर) की समूह (ग्रुप) एंटिटी की हो, बशर्ते कि उन शर्तों का पालन किया जाए जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ:

परंतु यह कि यदि कोई मौजूदा प्रायोजक अपनी पैसिव स्कीम में अपने मौजूदा म्यूचुअल फंड से 'म्यूचुअल फंड लाइट' में लेकर जाए (ट्रांसफर करे), तो इस प्रकार ट्रांसफर किए जाने के बाद मौजूदा म्यूचुअल फंड ऐसी कोई पैसिव स्कीम में नहीं लाएगा जो 'म्यूचुअल फंड लाइट' की स्कीम में बनने के लिए पात्र हो।

(3) इन विनियमों के विनियम 7ख में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मौजूदा शेयरधारक के पास म्यूचुअल फंड की मौजूदा असेट मैनेजमेंट कंपनी में 10% या उससे ज्यादा के शेयर या मताधिकार हों, तो ऐसे में उसे उस 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' में 10% या उससे ज्यादा के शेयर या मताधिकार रखने की अनुमति दी जा सकेगी जो उसी प्रायोजक (स्पॉन्सर) की समूह (ग्रुप) एंटिटी की हो।

(4) यदि कोई मौजूदा म्यूचुअल फंड केवल 'म्यूचुअल फंड लाइट' की स्कीम में ही लाना चाहता हो, तो वह अपना मौजूदा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंपकर इस अध्याय के तहत 'म्यूचुअल फंड लाइट' बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उन शर्तों का पालन करना होगा और उसके लिए उसे वही तरीका अपनाना होगा जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) को रजिस्टर करवाना

83. 'म्यूचुअल फंड लाइट' का गठन एक ट्रस्ट (न्यास) के रूप में किया जाएगा, और जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के तहत विधिवत रूप से ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) रजिस्टर करवाना होगा (बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्म में) और यह दस्तावेज़ 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' द्वारा उन न्यासियों (ट्रस्टी) के पक्ष में बनाया जाएगा जिसका जिक्र उस दस्तावेज़ में किया गया हो:

परंतु यह कि यदि प्रायोजक (स्पॉन्सर) अलग हो रहा हो, तो ऐसे में उस ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) पर कौन हस्ताक्षर करेगा यह बोर्ड द्वारा बताया जाएगा।

न्यासी (ट्रस्टी) की नियुक्ति

84. (1) इन विनियमों के विनियम 7ख में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, किसी एक डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) को एक से ज्यादा 'म्यूचुअल फंड लाइट' के न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) 'म्यूचुअल फंड लाइट' का न्यासी (ट्रस्टी) एक स्वतंत्र एंटिटी होगा, और जो संबंधित 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के प्रायोजक (स्पॉन्सर) का सहयोगी (असोसिएट) या 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का प्रबंधक (मैनेजर) नहीं होगा।

(3) कोई भी डिबेंचर न्यासी इस अध्याय के तहत एक न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' के संबंध में दिए हुए मानदंडों पर खरा न उतरे।

न्यासियों (ट्रस्टी) के अधिकार और बाध्यताएँ

85. (1) न्यासी (ट्रस्टी) और एमएफ लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी निवेश प्रबंध करार (विनिधान प्रबंध करार / इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट) करेंगे।

(2) निवेश प्रबंध करार (इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट) में वे प्रावधान किए जाएंगे जो बोर्ड द्वारा बताए जाएँ, और साथ ही ऐसे दूसरे प्रावधान भी किए जाएंगे जो निवेश करने के लिहाज से जरूरी हों।

(3) न्यासी इस अध्याय तथा ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित 'म्यूचुअल फंड लाइट की स्कीमों' के पैसों (फंड) और संपत्ति के लिए जिम्मेदार होंगे और उनके कस्टोडियन (अभिरक्षक) भी होंगे, और जो उन्हें यूनिधारकों के हित में ट्रस्ट (न्यास) में रखेंगे।

(4) न्यासी (ट्रस्टी) के पास उतनी बुनियादी सुविधाएँ होंगी (उतना इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा), उतने कर्मचारी होंगे, उतने सिस्टम आदि होंगे, जितने न्यासी को इन विनियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करने के लिए चाहिए।

(5) न्यासी (ट्रस्टी) यूनिटधारकों के हित में 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के कामकाज पर नज़र रखेंगे और उनके कामकाज के संबंध में तथा लागू विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के पालन की स्थिति के संबंध में समय-समय पर उसी तरह रिपोर्ट लेंगे, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

(6) न्यासियों (ट्रस्टी) को ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) के अनुसार 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनियों' से जानकारी मांगने का अधिकार होगा।

(7) यदि न्यासियों (ट्रस्टी) का यह मानना हो कि 'म्यूचुअल फंड लाइट' का कारोबार इन विनियमों के अनुसार नहीं चल रहा है या उससे यूनिटधारकों के हित को नुकसान पहुँच रहा है, तो ऐसे में वे तुरंत जरूरी कदम उठाएँगे और इस मामले की जानकारी तुरंत बोर्ड को देंगे और साथ ही बोर्ड को यह भी बताएँगे कि उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की।

(8) न्यासी (ट्रस्टी) समय-समय पर यूनिटधारकों द्वारा की गई शिकायतों की स्थिति की और 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' द्वारा उन शिकायतों के निवारण के संबंध में उठाए गए कदमों की समीक्षा करेंगे।

(9) यदि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के नियंत्रण (कंट्रोल) में कोई बदलाव होता है, तो न्यासी (ट्रस्टी) उसके संबंध में अपनी सहमति देगा।

(10) न्यासी (ट्रस्टी) यह सुनिश्चित करेंगे कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' ने किसी भी सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) को किसी भी तरह का कोई अनुचित फायदा नहीं पहुँचाया है या 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के किसी भी सहयोगी से इस तरह से डील न की हो कि उसकी वजह से यूनिटधारकों के हितों को नुकसान पहुँचे।

(11) प्रत्येक न्यासी (ट्रस्टी) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में किए गए अपने लेनदेन (डीलिंग) के ब्यौरे 'म्यूचुअल फंड लाइट' के पास उतने समय के भीतर और उसी तरह से उपलब्ध कराएगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(12) न्यासी (ट्रस्टी) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएँगे कि 'म्यूचुअल फंड लाइट' द्वारा किए गए लेनदेन (ट्रांजेक्शन) ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) के प्रावधानों के अनुसार हों।

(13) न्यासी यूनिधारकों की सहमति तब लेंगे-

- (क) जब भी बोर्ड यूनिधारकों के हित में ऐसा करने को कहे; या
- (ख) जब भी किसी 'म्यूचुअल फंड लाइट स्कीम' के तीन-चौथाई यूनिटधारक ऐसा करने को कहें; या
- (ग) जब ज्यादातर न्यासी (ट्रस्टी) विनियम 39 के उप-विनियम (2) के खंड (क) में दी गई शर्तों आदि के अनुसार किसी स्कीम को बंद (वाईड – अप) करने का निर्णय ले लें या 'सीमित अवधि वाली स्कीम' (क्लोज़ एंडेड स्कीम) की यूनिटों की मीयाद पूरी होने से पहले रिडीम करने का निर्णय ले लें।

(14) न्यासी (ट्रस्टी) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के यहाँ अहम पदों पर बैठे व्यक्तियों (की पर्सोनल) द्वारा अपने नाम पर या 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की ओर से प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में किए गए लेनदेन (ट्रांज़ैक्शन) के ब्यौरे मँगवाएंगे और जरूरत पड़ने पर इसकी जानकारी बोर्ड को देंगे।

(15) न्यासी (ट्रस्टी) 'म्यूचुअल फंड लाइट', 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' और उसके सहयोगियों (सहयुक्त/असोसिएट) के बीच किए गए समस्त लेनदेन (ट्रांज़ैक्शन) की तिमाही आधार पर समीक्षा करेंगे।

(16) न्यासी (ट्रस्टी) यह सुनिश्चित करेंगे कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' अपनी नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) की रकम का इस तरह से निवेश करेगी कि उसकी वजह से यूनिटधारकों के हितों पर कोई आँच न आए।

(17) न्यासी (ट्रस्टी) पाँचवीं अनुसूची के भाग-क में दी हुई आचार संहिता का पालन करेंगे।

(18) 'म्यूचुअल फंड लाइट' द्वारा प्रायोजक (स्पॉन्सर) की समूह (ग्रुप) कंपनियों की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में किए गए निवेश के संबंध में 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की ओर से प्राप्त रिपोर्ट पर न्यासी (ट्रस्टी) अपनी टिप्पणियाँ देंगे।

(19) न्यासी (ट्रस्टी) यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रस्ट (न्यास) की संपत्ति पर कोई आँच न आए, और जो सही लोगों के हाथों में रहे और वे उसे सही ढंग से संभालें, और साथ ही साथ इस काम के लिए जितने लोगों की जरूरत हो उतने लोग इस काम में लगाए जाएँ।

(20) न्यासी (ट्रस्टी) उन मामलों के संबंध में भी पूरी सावधानी बरतेंगे, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(21) उप-विनियम (1) से उप-विनियम (20) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, न्यासियों को उन कार्यों आदि के लिए तब जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, जब उन्होंने सद्भावपूर्वक वे कार्य आदि करते समय पूरी सावधानी बरती हो और ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) के अनुसार कार्य किए हों।

'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) कितनी होनी चाहिए

86. (1) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की नेटवर्थ पैंतीस करोड़ रुपये से कम की न हो, और उसका निवेश बोर्ड द्वारा बताई गई असेट्स (आस्तियों) में किया जाए:

परंतु यह कि यदि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' को लगातार पाँच वर्षों तक मुनाफा हुआ हो, तो ऐसे में वह अपनी नेटवर्थ घटाकर पच्चीस करोड़ रुपये भी कर सकेगी।

(2) जहाँ प्रायोजक (स्पॉन्सर) आवेदन किए जाने के समय इन विनियमों के विनियम 81 के खंड (क) के स्पष्टीकरण के भाग (i) से (iv) में दी हुई अपेक्षाओं पर खरा न उतरता हो, वहाँ 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की नेटवर्थ पचास करोड़ रुपये से कम की न हो, और उसका निवेश बोर्ड द्वारा बताई गई असेट्स (आस्तियों) में किया जाए:

परंतु यह कि यदि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' को लगातार पाँच वर्षों तक मुनाफा हुआ हो, तो ऐसे में वह अपनी नेटवर्थ घटाकर पच्चीस करोड़ रुपये भी कर सकेगी।

स्पष्टीकरण: 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की नेटवर्थ की गणना करते समय, उन ऋणों और अग्रिमों (एडवांस) को नहीं गिना जाएगा, जो 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' ने प्रायोजक को, प्रायोजक के सहयोगियों (सहयुक्तों / असोसिएट) को या प्रायोजक की समूह कंपनी (ग्रुप कंपनी) को और 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के सहयोगियों या उसकी समूह कंपनी को दिए गए हों।

(3) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की नेटवर्थ हमेशा इस विनियम के उप-विनियम (1) या (2) के अनुसार बनी रहे, और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रायोजक की होगी।

(4) उप-विनियम (1) से (3) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, यदि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का ए.यू.एम. (प्रबंधनाधीन आस्तियाँ) कुल मिलाकर तय सीमा से अधिक हो जाए, तो ऐसे में 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' इन विनियमों के अध्याय-IV में शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) के संबंध में दी गई अपेक्षाओं का पालन करेगी।

'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' और उसकी बाध्यताएँ

87. (1) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के निदेशक प्रायोजक (स्पॉन्सर) द्वारा नियुक्त किए जाएँगे, और प्रायोजक (स्पॉन्सर) ऐसी नियुक्तियाँ पूरी जाँच-परख करके ही करेगा।

(2) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त जरूरी कदम उठाएगी और पूरी जाँच-परख करेगी कि 'म्यूचुअल फंड लाइट' की स्कीम के पैसों (फंड) के निवेश के मामले में इन विनियमों और ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) के प्रावधानों का उल्लंघन न किया जाए।

(3) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी', इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार जहाँ कहीं भी जरूरी हो, उस (उन) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी ले लेगी जहाँ यूनिटों को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो।

(4) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के कर्मचारियों ने या असेट मैनेजमेंट कंपनी ने जिन व्यक्तियों की सेवाएँ ली हों उन व्यक्तियों ने जो कुछ भी किया हो या करने में जो भी चूक की हो, उसके लिए 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' जिम्मेदार रहेगी।

(5) किसी करार आदि में दी हुई किसी बात के होते हुए भी या फिर किसी करार के समाप्त हो जाने के बाद भी, 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' या उसके निदेशक या दूसरे अधिकारी 'म्यूचुअल फंड लाइट' के प्रति उन कार्यों आदि के मामले में जवाबदेही से बरी नहीं होंगे जो भी उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किए हों और साथ ही कार्य करते समय की गई चूकों के प्रति भी अपनी जवाबदेही से बरी नहीं होंगे।

(6) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) [फिर चाहे पदनाम जो भी हो] यह सुनिश्चित करेगा कि 'म्यूचुअल फंड लाइट' इन विनियमों के प्रावधानों का और इनके संबंध में समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों या परिपत्रों (सर्कुलर) का पालन करे और निधि प्रबंधकों (फंड मैनेजर्स) द्वारा निवेश यूनिटधारकों के हितों को ध्यान में रखकर ही किए जाएँ, और साथ ही साथ 'म्यूचुअल फंड लाइट' के स्तर पर जोखिम प्रबंधन (रिस्क मैनेजमेंट) की समूची व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उसी की होगी।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (फिर चाहे पदनाम जो भी हो) यह भी सुनिश्चित करेगा कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएँ हों कि इन विनियमों की पाँचवी अनुसूची के भाग-ख में निधि प्रबंधकों (फंड मैनेजर्स) और डीलरों के लिए निर्धारित की गई आचार संहिता का सही मायने में पालन किया जाए। यदि इस आचार संहिता का

कोई भी उल्लंघन किया जाता हो, तो उसकी जानकारी 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के निदेशक मंडल को और उसके न्यासियों (ट्रस्टी) को दी जाएगी।

- (8) निधि प्रबंधक (फंड मैनेजर) [फिर चाहे पदनाम जो भी हो] इन विनियमों की पाँचवी अनुसूची के भाग-ख में निधि प्रबंधकों (फंड मैनेजर्स) और डीलरों के लिए निर्धारित की गई आचार संहिता का पालन करेंगे और न्यासियों (ट्रस्टी) के पास प्रत्येक तिमाही में इस बात की पुष्टि प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने उपरोक्त आचार संहिता का पालन किया है या जिन-जिन मदों का पालन नहीं किया (यदि कोई हों) उसकी सूची देंगे।

स्पष्टीकरण:- इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों "निधि प्रबंधकों" (फंड मैनेजर) में मुख्य निवेश अधिकारी (चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर) [चाहे पदनाम जो भी हो] भी शामिल होगा।

- (9) डीलर (फिर चाहे पदनाम जो भी हो) इन विनियमों की पाँचवी अनुसूची के भाग-ख में निधि प्रबंधकों (फंड मैनेजर्स) और डीलरों के लिए निर्धारित की गई आचार संहिता का पालन करेंगे, और न्यासियों (ट्रस्टी) के पास प्रत्येक तिमाही में इस बात की पुष्टि प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने उपरोक्त आचार संहिता का पालन किया है या जिन-जिन मदों का पालन नहीं किया (यदि कोई हों) उसकी सूची देंगे।
- (10) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के समस्त कार्य आदि इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार हों।
- (11) म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी,

(क) प्रायोजक से जुड़े किसी भी दलाल (ब्रोकर) के माध्यम से, प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की उतनी खरीद या बिक्री नहीं करेगी, जो कि म्यूचुअल फंड लाइट द्वारा अपनी सभी स्कीमों के अंतर्गत की गई प्रतिभूतियों की कुल खरीद और बिक्री का औसतन 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो:

परंतु यह कि इस खंड के प्रयोजनार्थ, प्रतिभूतियों की कुल खरीद और बिक्री में म्यूचुअल फंड लाइट द्वारा जारी की गई यूनिटों की बिक्री और उनका डिस्ट्रीब्यूशन शामिल नहीं होगा और वे लेनदेन (ट्रांजेक्शन) शामिल नहीं होंगे, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा बताया जाए:

परंतु यह और कि 10 प्रतिशत की उपरोक्त सीमा किसी भी तीन महीनों के एक ब्लॉक के लिए लागू होगी।

(ख) उप-विनियम (11) के खंड (क) में जिस दलाल (ब्रोकर) का जिक्र है उसके अलावा किसी दूसरे दलाल के माध्यम से तब तक प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की उतनी खरीद या बिक्री नहीं करेगी, जो कि म्यूचुअल फंड लाइट द्वारा अपनी सभी स्कीमों के अंतर्गत की गई प्रतिभूतियों की कुल खरीद और बिक्री का औसतन 25 प्रतिशत या उससे अधिक हो, जब तक कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' इसके कारण लिखित रूप में दर्ज न कर दे, और इस प्रकार किए जाने वाले समस्त निवेश की रिपोर्टें न्यासियों (ट्रस्टी) के पास तिमाही आधार पर न भेज दी जाए:

परंतु यह कि इस खंड के प्रयोजनार्थ, प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की कुल खरीद और बिक्री में वे लेनदेन शामिल नहीं होंगे, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा बताया जाए:

परंतु यह और कि 25 प्रतिशत की उपरोक्त सीमा तीन महीनों के एक ब्लॉक के लिए लागू होगी।

- (12) यदि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' अपने किसी सहयोगी (असोसिएट) के साथ किन्हीं भी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन करे, तो इसकी एक रिपोर्ट न्यासियों को उनकी अगली बैठक में दी जाएगी।
- (13) यदि किसी कंपनी ने किसी स्कीम के एन.ए.वी. (शुद्ध आस्ति मूल्य / नेट असेट वैल्यू) के 5 प्रतिशत से अधिक का निवेश किया हुआ हो, तो ऐसे में उस स्कीम द्वारा या उसी म्यूचुअल फंड लाइट की किसी दूसरी स्कीम द्वारा उस कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों (सब्सिडियरी) में जो भी निवेश किया जाए उसकी जानकारी 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' द्वारा न्यासियों (ट्रस्टी) को दी जाएगी, और साथ ही वह जानकारी संबंधित स्कीमों के वार्षिक लेखों (अकाउंट्स) में भी दी जाएगी (इस प्रकार किए गए निवेश का औचित्य बताते हुए) और यह जानकारी तभी देनी होगी जब उस कंपनी द्वारा उस स्कीम में अथवा उस स्कीम द्वारा उस कंपनी या उसकी सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) में किए गए निवेश के बीच एक वर्ष से कम का अंतर हो।
- (14) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' न्यासियों और बोर्ड के पास-
- (क) अपने सभी निदेशकों को नियुक्त किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उनका विस्तृत बायो-डाटा प्रस्तुत करेगी और साथ ही यह जानकारी भी देगी कि उनका किन-किन कंपनियों में कितना-कितना हित है;
 - (ख) हर छह महीनों में यह बताएगी कि निदेशकों के हितों में कोई बदलाव तो नहीं हुआ और अगर हुआ हो, तो उसकी जानकारी देगी; और
 - (ग) न्यासियों के पास एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें म्यूचुअल फंड लाइट द्वारा, यथास्थिति, प्रायोजक या 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की समूह कंपनियों की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में की गई खरीद और बिक्री के ब्यौरे (पर्याप्त औचित्य के साथ) देगी।
- (15) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का प्रत्येक निदेशक प्रतिभूतियों में किए गए अपने लेनदेन (ट्रांजैक्शन) के ब्यौरे न्यासियों के पास, बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, हर तिमाही में प्रस्तुत करेगा।
- (16) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' ऐसे किसी व्यक्ति को किसी बड़े ओहदे पर नियुक्त नहीं करेगी, जिसे किसी आर्थिक अपराध का दोषी ठहराया गया हो या जो प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में शामिल हो।
- (17) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' उस रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं (शेयर ट्रांसफर एजेंट) को नियुक्त करेगी, जो बोर्ड से रजिस्टर हो:
- परंतु यह कि यदि यूनिटों के अंतरण (ट्रांसफर) से संबंधित कार्य आंतरिक स्तर पर किया जाए, तो ऐसे में बाजार में इस कार्य हेतु शुल्क के तौर पर जितनी रकम ली जा रही हो उतनी रकम स्कीम के खर्चों में दिखाई जा सकेगी, और यदि खर्चों के तौर पर उससे ज्यादा रकम दिखाकर स्कीम के खाते से काटी जानी हो, तो उसके संबंध में न्यासियों से पहले ही मंजूरी लेनी होगी, और साथ ही वार्षिक लेखों (अकाउंट्स) में यह जानकारी भी देनी होगी कि इस प्रकार ज्यादा रकम क्यों दिखाई गई।
- (18) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' इन विनियमों की पाँचवी अनुसूची के भाग-क में दी हुई आचार संहिता का पालन करेगी।

- (19) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' भारत के बाहर अपना कामकाज नहीं करेगी, जिसमें ट्रेडिंग डैस्क लगाना, यूनिटधारकों को सेवाएँ प्रदान करना और निवेश का कामकाज करना शामिल है।
- (20) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' अपनी स्कीम (स्कीमों) द्वारा किए गए निवेश की गणना तथा उसका मूल्यांकन इन विनियमों की आठवीं अनुसूची में निवेश के मूल्यांकन के संबंध में दिए गए मानदंडों के अनुसार करेगी, और साथ ही उसकी जानकारी सभी के लिए उपलब्ध करवाएगी।
- (21) यदि गलत तरीके से किए गए मूल्यांकन की वजह से किसी निवेशक को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो जाए, तो ऐसे में 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' तथा म्यूचुअल फंड लाइट के प्रायोजक को निवेशकों और / या स्कीम को मुआवज़ा देना होगा।
- (22) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का निदेशक मंडल पूरी सावधानी बरतेगा और इन बातों का पूरा ध्यान रखेगा:
- (क) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का निदेशक मंडल कोई भी स्कीम लाने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' –
- (i) के यहाँ बैंक ऑफिस, डीलिंग रूम और लेखा-जोखा (अकाउंटिंग) की पर्याप्त व्यवस्था हो;
 - (ii) ने स्कीम (स्कीमों) हेतु सभी अहम पदों पर नियुक्तियाँ (जिनमें फंड मैनेजर की नियुक्ति भी शामिल है) कर ली हों, और इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्तियों का बायोडाटा (जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता और सिक्यूरिटीज़ मार्केट में उनके अनुभव के ब्यौरे दिए हुए हों) उन्हें नियुक्त किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, न्यासियों के पास प्रस्तुत कर दिया जाए;
 - (iii) ने अपने बही-खातों की लेखापरीक्षा (का ऑडिट) करने के लिए लेखापरीक्षकों (ऑडिटर) की नियुक्ति कर ली हो;
 - (iv) ने एक अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) की नियुक्ति कर ली हो, जो इस पर नज़र रखेगा कि अधिनियम, बोर्ड या केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों और विनियमों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों, अनुदेशों आदि का पालन हो रहा है या नहीं और निवेशकों की शिकायतों का निवारण हो रहा है या नहीं;
 - (v) ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 के तहत एक निर्गम रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू एन इश्यू) और शेयर अंतरण अभिकर्ता (शेयर ट्रांसफर एजेंट) को नियुक्त कर लिया हो और उनके कामकाज पर नज़र रखने हेतु मानदंड भी निर्धारित कर लिए हों;
 - (vi) ने प्रावधानों आदि के पालन हेतु एक मैनुअल तैयार कर लिया हो और आंतरिक स्तर पर एक नियंत्रण व्यवस्था भी [जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा (इंटरनल ऑडिट) की व्यवस्था भी शामिल है] निर्धारित कर ली हो;
 - (vii) ने दलालों और मार्केटिंग एजेंटों को सूची में शामिल करने (के एम्पैनलमेंट) हेतु मानदंड निर्धारित कर दिए हों;

- (viii) ने इन विनियमों के अनुसार (जहाँ कहीं भी जरूरी हो) उस (उन) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी ले ली हो, जहाँ यूनितों को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो।

(ख) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि –

- (i) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' पूरी जाँच-परख करके ही दलालों (ब्रोकर) को सूची में शामिल करे, दलालों के साथ प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में किए जाने वाले लेनदेन (ट्रांज़ैक्शन) पर पूरी नज़र रखे और कुछेक दलालों को ही हद से ज्यादा काम न सौंपे;
- (ii) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' किसी भी सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) को किसी भी तरह का कोई अनुचित फायदा न पहुँचाए या 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के किसी भी सहयोगी से इस तरह से डील न करे कि उसकी वजह से यूनितधारकों के हितों को नुकसान पहुँचे;
- (iii) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' जो भी लेनदेन (ट्रांज़ैक्शन) करे, वे इन विनियमों और संबंधित स्कीमों के अनुसार ही हों;
- (iv) म्यूचुअल फंड लाइट द्वारा किए जाने वाले लेनदेन न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) के प्रावधानों के अनुसार हों;
- (v) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' म्यूचुअल फंड की स्कीमों इस तरह से चलाए कि उसका दूसरे कार्यों आदि से कोई सरोकार न रहे और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की किसी एक स्कीम के निवेशकों के हितों पर उसकी किसी दूसरी स्कीम की वजह से या फिर उसके दूसरे कार्यों आदि की वजह से कोई आँच न आए।
- (vi) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) की हर तिमाही में समीक्षा की जाए, ताकि विनियम 86 में बताई गई सीमा का पालन हमेशा सुनिश्चित होता रहे;
- (vii) सेवाएँ लेने हेतु जो भी करार आदि [जैसे कि आस्तियों (असेट्स) को संभालकर रखने (की कस्टडी) की सेवाओं के संबंध में और प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को अंतरित (ट्रांसफर) करने की सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले करार आदि] किए जाएँ वे यूनितधारकों के हितों को ध्यान में रखकर किए जाएँ और साथ ही इस बात पर भी नज़र रखी जाए कि कामकाज इन करारों आदि के अनुसार हो रहा है या नहीं।
- (viii) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' द्वारा अपनी नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) की रकम का इस तरह से निवेश किया जाए कि उसकी वजह से यूनितधारकों के हितों पर कोई आँच न आए;
- (ix) निवेशकों से प्राप्त शिकायतों की समय-समय पर समीक्षा की जाए और उन शिकायतों का निवारण किया जाए;
- (x) सभी सेवा प्रदाताओं (सर्विस प्रोवाइडर) के पास या तो बोर्ड से या फिर संबंधित विनियामक (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) से मिले वे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अवश्य हों जो वही सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में मिले हों जो सेवाएँ वे प्रदान करने वाले हों;

- (xi) म्यूचुअल फंड लाइट के संबंध में यदि कुछ नया हो जाए, तो उसकी जानकारी बोर्ड को तुरंत दी जाए;
 - (xii) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' द्वारा न्यासियों (ट्रस्टी) के पास प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें पूरी जाँच-परख करके ही प्रस्तुत की जाएँ;
 - (xiii) उन मामलों के संबंध में भी पूरी सावधानी बरती जाए, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।
- (23) यदि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की किसी स्कीम में काफी ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिले, तो ऐसे में उस 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का निदेशक मंडल इस बात की समीक्षा करेगा कि उस 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' की कोई जरूरत है भी या नहीं; और साथ ही 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' को नई स्कीम में लाने की अनुमति भी नहीं देगा।
- (24) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के साथ-साथ म्यूचुअल फंड लाइट की स्कीमों के स्तर पर जोखिम प्रबंधन के संबंध में की गई समूची व्यवस्था की जिम्मेदारी 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के निदेशक मंडल की होगी।
- (25) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के स्वतंत्र निदेशक निम्नलिखित बातों (जो भी लागू हों) पर खास ध्यान देंगे, अर्थात:-
- (i) निवेश प्रबंधन संबंधी करार (इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट) पर और इस करार के तहत अदा की जाने वाली रकम पर,
 - (ii) सहयोगियों (असोसिएट) के साथ किए जाने वाले सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर और इस पर कि क्या 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' वैसी ही सेवाएँ प्रदान करने वाले बाहरी ठेकेदारों की तुलना में ज्यादा फीस तो नहीं ले रही,
 - (iii) म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी के यहाँ स्वतंत्र निदेशकों के चयन पर,
 - (iv) इस पर कि जिनके साथ भी प्रतिभूतियों में लेनदेन किए गए [जिनमें सहयोगियों (असोसिएट) के साथ किए गए लेनदेन भी शामिल हैं], क्या वे लेनदेन प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमा के भीतर किए गए,
 - (v) इस पर कि स्वतंत्र निदेशकों के खाली पदों को भरने के लिए व्यक्तियों का चयन और उनका नामांकन किस प्रकार किया जा रहा है,
 - (vi) इस पर कि आचार संहिता आदि इस तरह से निर्धारित की जाए कि अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन करते समय धोखाधड़ी आदि न कर सकें;
 - (vii) इस पर कि सेवाएँ प्रदान करने की एवज में प्रायाजकों (स्पॉन्सर) को, 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' को तथा किसी दूसरे को वाजिब फीस अदा की जाए,
 - (viii) हामीदारी (अंडरराइटिंग) किए जाने हेतु पहली बार और बाद में किए जाने वाले करारों पर,
 - (ix) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के सहयोगियों (असोसिएट) के साथ किए जाने वाले सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर।

- (26) जिस अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) को उप-विनियम (22) के खंड (क) के उप-खंड (iv) के अनुसार नियुक्त किया जाए, वह उस मामले की सूचना तुरंत और स्वयं बोर्ड को देगा जहाँ उसे यह पता चले कि किसी प्रावधान का पालन नहीं किया गया है।
- (27) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' उसी तरह से और उसी उद्देश्य से एक यूनिटधारक संरक्षण समिति का गठन करेगी, जैसा बोर्ड बताए।
- (28) म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी, किसी स्कीम के यूनिटधारकों के लिए, म्यूचुअल फंड लाइट को अदा की जाने वाली रकम और म्यूचुअल फंड लाइट में प्राप्त होने वाली रकम की गणना, इन विनियमों तथा न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) के अनुसार करेगी।
- (29) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' यह सुनिश्चित करेगी कि तब तक किसी स्कीम की बुनियादी विशेषताओं में या उसके न्यास (ट्रस्ट) में, देय फीस और खर्चों आदि में कोई भी बदलाव न किया जाए और या फिर ऐसा कोई बदलाव न किया जाए जिससे कि स्कीम में बुनियादी तौर पर कोई बदलाव हो जाए और जिससे यूनिटधारकों के हितों पर असर पड़े, जब तक कि –
- (i) किए जाने वाले बदलाव की सूचना लिखित रूप में प्रत्येक यूनिटधारक को न दे दी जाए और एक ऐसे अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र (जिसे देशभर में पढ़ा जाता हो) में इस संबंध में एक विज्ञापन जारी न कर दिया जाए और साथ ही उस स्थान की भाषा में छपने वाले उस समाचारपत्र में इस संबंध में एक विज्ञापन जारी न कर दिया जाए, जहाँ म्यूचुअल फंड का मुख्यालय स्थित हो; और
 - (ii) यूनिटधारकों को मौजूदा एन.ए.वी. पर अपना पैसा निकालने का विकल्प न प्रदान कर दिया जाए, और जिसके लिए कोई शुल्क (एग्जिट लोड) न लिया जाए।
- (30) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' अपने यहाँ एक ऐसी व्यवस्था निर्धारित करेगी (जैसा बोर्ड बताए), जिससे कि जहाँ कहीं भी बाजार के गलत इस्तेमाल की गुंजाइश लग रही हो उन मामलों [जिनमें फ्रंट-रनिंग के मामले और धोखाधड़ी करने के इरादे से प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन करने के मामले भी शामिल हैं] का पता लगाया जा सके और ऐसा करने से रोका भी जा सके।
- (31) बाजार के गलत इस्तेमाल [जिनमें फ्रंट-रनिंग के मामले और धोखाधड़ी करने के इरादे से प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन करने के मामले भी शामिल हैं] को रोकने के लिए इस प्रकार 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के यहाँ जो व्यवस्था निर्धारित की गई हो, उसके अनुसार प्रक्रियाओं को अमल में लाने की जिम्मेदारी और जवाबदेही 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' (आस्ति प्रबंध कंपनी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) या प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) या ऐसे ही अन्य ओहदे पर कार्यरत किसी दूसरे व्यक्ति और मुख्य अनुपालन अधिकारी (चीफ कंप्लायंस ऑफिसर) की होगी।
- (32) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' पर्दाफाश करने के संबंध में लिखित रूप में नीति निर्धारित करेगी, उसके अनुसार प्रक्रियाओं को अमल में लाएगी और उसे कायम रखेगी, जिसके तहत,—
- (क) कर्मचारियों, निदेशकों, न्यासियों (ट्रस्टी), और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के लिए एक ऐसे गोपनीय माध्यम का प्रावधान किया जाए, जिसके जरिए वे उन मामलों की जानकारी दे सकें, जहाँ धोखाधड़ी करने के इरादे से या गलत तरीके अपनाकर कुछ किए जाने की आशंका हो या फिर विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों या किन्हीं अन्य कानूनी प्रावधानों आदि का उल्लंघन किए जाने की कोई आशंका हो या फिर संचालन-व्यवस्था (गवर्नेंस) में कहीं किसी गड़बड़ी की आशंका हो, और

- (ख) ऐसी प्रक्रियाएँ निर्धारित की जाएँ, जिनसे कि पर्दाफाश करने वालों का पर्याप्त संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
- (33) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का निदेशक मंडल (जिसमें उनकी कोई समितियाँ भी शामिल हैं) की बैठकें उतने-उतने समय में होंगी, जैसा बोर्ड समय-समय पर बताए।
- (34) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का निदेशक मंडल वार्षिक आधार पर बोर्ड के पास,-
- (क) म्यूचुअल फंड लाइट के कार्यों आदि से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
- (ख) एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का निदेशक मंडल इस बात से संतुष्ट है कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के किसी भी न्यासी, निदेशक और किसी अहम पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सेल्फ-डीलिंग किए जाने और फ्रंट रनिंग किए जाने के कोई मामले सामने नहीं आए हैं;
- (ग) इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' जो भी स्कीमें चला रही हैं उनका 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' के दूसरे कार्यों से कोई सरोकार नहीं है; और यदि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' उस तरह के कोई कार्य आदि कर रही हो जिनका जिक्र विनियम 88 के खंड (ख) में किया गया है, तो ऐसे में उसने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हों कि यूनिटधारकों के हितों को क्षति न पहुंचे।

'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' द्वारा कौन-कौन से कार्य आदि किए जाने पर पाबंदी होगी:

88. म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी,-

- (क) किसी म्यूचुअल फंड लाइट के न्यासी के रूप में कार्य नहीं करेगी;
- (ख) पूल्ड असेट्स को उसके द्वारा चलाए जा रहे पैसिव फंडों आदि में निवेश के सिलसिले में सलाहकार संबंधी सेवाएँ देने के सिवाय दूसरे कोई कार्य आदि नहीं करेगी:

परंतु यह कि खंड (ख) के तहत जो कार्य आदि करने की अनुमति दी गई है, वे कार्य आदि असेट मैनेजमेंट कंपनी या तो स्वयं या फिर अपने सहयोगी कंपनियों (सब्सिडियरी) के जरिए तभी कर सकेगी, जब,-

- (i) वह यह सुनिश्चित कर ले कि अलग-अलग कार्यों की वजह से किसी बड़े हित-विरोध की स्थिति पैदा न हो;
- (ii) इस बात की जानकारी (डिस्क्लोज़र) कि कोई हित-विरोध नहीं है न्यासियों को दे दी जाए और यूनिटधारकों को स्कीम सूचना दस्तावेज़ (स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट) और अतिरिक्त जानकारी के विवरण में दे दी जाए।
- (iii) यदि हित-विरोध को टालना नामुमकिन हो जाए, तो वह यह सुनिश्चित करेगी कि इसकी जानकारी (डिस्क्लोज़र) दे दी जाए कि हित-विरोध की स्थिति पैदा कहाँ से हुई, इसकी वजह से निवेशकों के हितों को किस तरह का बड़ा खतरा हो सकता है या नुकसान पहुँच सकता है और इसके साथ-साथ उसमें विस्तृत ब्यौरे भी दे दिए जाएँ;
- (iv) यह सुनिश्चित कर ले कि अहम पद पर बैठा व्यक्ति हितों के टकराव के जिस मामले के संबंध में कार्यवाही कर रहा हो उस मामले में इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे जो पारिश्रमिक मिल रहा हो उसका किसी भी तरह से कोई भी सरोकार उस कार्य से होने वाली आमदनी से न हो।

म्यूचुअल फंड लाइट स्कीमें लाने की प्रक्रिया

89. (1) 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' म्यूचुअल फंड लाइट की कोई भी स्कीम तब तक नहीं लाएगी, जब तक कि 'म्यूचुअल फंड लाइट असेट मैनेजमेंट कंपनी' का निदेशक मंडल म्यूचुअल फंड लाइट की वह स्कीम लाने के संबंध में मंजूरी प्रदान न कर दे और बोर्ड के पास प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) की प्रति प्रस्तुत न कर दे।"

VII. चौथी अनुसूची में, शब्द तथा चिह्न "नामनिर्देशन / नामनिर्देशन के रद्दकरण के लिए प्ररूप" हट जाएंगे।

प्रमोद राव, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./764/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ. सं. 856(अ), 9 दिसम्बर 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् –
 - (1) 15 अप्रैल 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 327 (अ), द्वारा
 - (2) 12 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 32 (अ), द्वारा
 - (3) 8 दिसम्बर 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 1223 (अ), द्वारा
 - (4) 14 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 235 (अ), द्वारा
 - (5) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा
 - (6) 22 मई 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 484 (अ), द्वारा
 - (7) 23 जनवरी 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 69 (अ), द्वारा
 - (8) 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा
 - (9) 23 जुलाई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 698 (अ), द्वारा

- (10) 20 फरवरी 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 219 (अ), द्वारा
- (11) 11 जून 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 625 (अ), द्वारा
- (12) 30 जुलाई 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 809 (अ), द्वारा
- (13) 9 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं.956 (अ), द्वारा
- (14) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं.1045 (अ), द्वारा
- (15) 29 मई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं.632 (अ), द्वारा
- (16) 12 जनवरी 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2004, फा.सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/4/2004, द्वारा
- (17) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा
- (18) 12 जनवरी 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 38(अ), द्वारा
- (19) 22 मई 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 783(अ), द्वारा
- (20) 3 अगस्त 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1254(अ), द्वारा
- (21) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/82534/2006, द्वारा
- (22) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/83065/2006, द्वारा
- (23) 28 मई 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2518, द्वारा
- (24) 31 अक्तूबर 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/4646, द्वारा
- (25) 31 मार्च 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा.सं.11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा

- (26) 16 अप्रैल 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2008/03/123042, द्वारा
- (27) 22 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एल.ए.डी.-एन.एन.ओ./जी.एन./2008/09/126202, द्वारा
- (28) 29 सितम्बर 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2008/24/ 139426, द्वारा
- (29) 8 अप्रैल 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/01/ 159601, द्वारा
- (30) 5 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/07/165404, द्वारा
- (31) 29 जुलाई 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/13/13945, द्वारा
- (32) 30 अगस्त 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/22/27668, द्वारा
- (33) 21 फरवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/38/4290, द्वारा
- (34) 26 सितम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/17/21502, द्वारा
- (35) 16 अप्रैल 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/03/5652, द्वारा
- (36) 19 जून 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/12/6108, द्वारा
- (37) 19 अगस्त 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/18/6384, द्वारा
- (38) 6 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/01/1039, द्वारा
- (39) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (40) 30 दिसम्बर 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/19/ 1973, द्वारा
- (41) 15 मई 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/005, द्वारा

- (42) 12 फरवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/034, द्वारा
- (43) 15 फरवरी 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/031, द्वारा
- (44) 13 मार्च 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/02, द्वारा
- (45) 30 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/14, द्वारा
- (46) 6 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/50, द्वारा
- (47) 13 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/51, द्वारा
- (48) 1 जनवरी 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/01, द्वारा
- (49) 26 अप्रैल 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/011, द्वारा
- (50) 23 सितम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/37, द्वारा
- (51) 6 मार्च 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/07, द्वारा
- (52) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (53) 29 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/39, द्वारा
- (54) 4 फरवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/08, द्वारा
- (55) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- (56) 5 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/36, द्वारा
- (57) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/56, द्वारा

- (58) 25 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/70, द्वारा
- (59) 3 अगस्त, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/92, द्वारा
- (60) 16 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/106, द्वारा
- (61) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
- (62) 27 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/134, द्वारा
- (63) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा
- (64) 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा
- (65) 2 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/188, द्वारा
- (66) 1 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/197, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th December, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUNDS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/221.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (c) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, namely—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:
 Provided that sub-regulations I, II and VI of regulation 3 of these amendment regulations shall come into force on the ninetieth day from the date of their publication in the Official Gazette:
 Provided further that sub-regulations IV and V of regulation 3 of these amendment regulations shall come into force with effect from April 1, 2025.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996,—
 - I. in Chapter II, in regulation 11, after the words and symbol “in regulation 7”, the words and symbol “or regulation 81” shall be inserted.
 - II. in Chapter IV, in regulation 23, after the words and symbol “in regulation 21”, the words and symbol “and regulation 86” shall be inserted.
 - III. In regulation 29A,-
 - (i) in sub-regulation (1), the words “in the manner specified in Fourth Schedule” shall be substituted with the words “in the manner as may be specified from time to time”.
 - (ii) the existing sub-regulation (2) shall be renumbered as sub-regulation (3).
 - (iii) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:
 “(2) The unitholder shall have an option to nominate, in the manner as may be specified, a person who shall be authorized to conduct transactions on behalf of the unitholder in the event of the incapacitation of the unitholder.”
 - (iv) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:
 “(4) An asset management company or its registrar to an issue and share transfer agent shall not be liable for any action taken on the basis of nomination made by the unitholder.”
 - IV. in Chapter VI, in regulation 43, after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted, namely, —
 “(8) Moneys collected under the investment strategies of a Specialized Investment Fund shall be invested in accordance with regulation 49Z.”
 - V. After chapter VI-B, the following chapter and regulations shall be inserted, namely,—

“CHAPTER VI-C

SPECIALIZED INVESTMENT FUND

Definitions:

49U. For the purposes of this Chapter, unless the context otherwise requires-

- a) “Accredited Investor” shall have the same meaning as assigned to it in clause (ab) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;
- b) “Specialized Investment Fund” means a mutual fund as defined under clause (q) of sub-regulation (1) of regulation 2 of these regulations and subject to such other conditions as specified under this chapter:

Provided that a mutual fund registered under regulation 9 shall not be required to establish a separate trust for launching any Investment Strategy under the Specialized Investment Fund.

- c) “Investment Strategy” means a scheme of mutual fund launched under the Specialized Investment Fund.

Applicability:

49V. (1) The provisions of this Chapter shall apply to a Specialized Investment Fund.

(2) Unless the context otherwise requires, all other provisions of these regulations and the guidelines and circulars issued thereunder shall apply to a Specialized Investment Fund and the investment strategies launched under it, the trustees and the asset management companies in relation to such investment strategies, except where specific provisions are made in relation thereto under this Chapter.

Approval requirements:

49W. (1) A mutual fund registered under regulation 9 may be granted an approval to establish a Specialized Investment Fund subject to fulfilling such eligibility criteria and in the manner, as may be specified by the board.

Conditions for Specialized Investment Fund:

49X. (1) A Specialized Investment Fund shall not accept from an investor, an investment amount less than ten lakh rupees across all investment strategies in the manner as may be specified by the Board:

Provided that the requirement of minimum investment amount shall not apply to an accredited investor.

(2) The Fund Manager of Specialized Investment Funds shall have the relevant NISM certification as may be specified by the Board from time to time.

(3) All provisions applicable to the schemes of a mutual fund under these regulations shall also apply to the Investment Strategies launched under the Specialized Investment Fund, unless otherwise specified.

Procedure for launching of investment strategies:

49Y. (1) The investment strategies under the Specialized Investment Fund shall be launched in accordance with the procedure applicable to the schemes of the mutual funds, as laid down in regulation 28:

Provided that a Specialized Investment Fund may launch such investment strategies in the manner as may be specified by the Board from time to time.

(2) An investment strategy under the Specialized Investment Fund shall be launched as an open-ended investment strategy or close-ended investment strategy or interval investment strategy with subscription and redemption frequency appropriately disclosed in the offer document.

(3) The fees and expenses for the investment strategies launched under the Specialized Investment Fund shall be in accordance with regulation 52 of these regulations.

Permissible investments:

49Z. (1) Specialized Investment Fund may invest monies collected under any of its investment strategies in instruments permitted under sub-regulation (1) of regulation 43 for mutual funds schemes:

Provided that the manner of investment by a Specialized Investment Fund may be specified by the Board.

(2) Any investment to be made under sub-regulation (1) of regulation 49Z shall be invested subject to investment restrictions as specified under regulation 49AA.

Restrictions on investments:

49AA. (1) An investment strategy under Specialized Investment Fund shall not invest more than 20 per cent of its NAV in debt instruments comprising money market instruments and non-money market instruments issued by a single issuer which are rated not below investment grade by a credit rating agency authorised to carry out such activity under the Act. Such investment limit may be extended to 25 per cent of the NAV of the investment strategy with the prior approval of the Board of Trustees and Board of Directors of the asset management company:

Provided that such limit shall not be applicable for investments in Government Securities, treasury bills and triparty repo on Government securities or treasury bills:

Provided further that investments within such limit can be made in mortgaged backed securitised debt which are rated not below investment grade by a credit rating agency registered with the Board:

Provided further that such limit shall not be applicable for investments in case of debt exchange traded funds or such other funds as may be specified by the Board from time to time.

(2) No Specialized Investment Fund under all its investment strategies should own more than fifteen per cent of any company's paid up capital carrying voting rights:

Provided that investment in the asset management company or the trustee company of a mutual fund shall be governed by clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 7B:

Provided further that the limit mentioned in sub-regulation (2) above shall be inclusive of ten per cent limit for mutual fund schemes as specified under clause 2 of Seventh Schedule.

Explanation: If a mutual fund under all its schemes owns ten per cent of any company's paid up capital carrying voting rights, then the Specialized Investment fund under all its investment strategies shall not own more than five per cent of that company's paid up capital carrying voting rights.

(3) No investment strategy of a Specialized Investment Fund shall invest more than 10 per cent of its NAV in the equity shares and equity-related instruments of any company.

(4) A Specialized Investment Fund may invest in the units of REITs and InvITs subject to the following:

(a) No Specialized Investment Fund under all its investment strategies shall own more than 20 per cent of units issued by a single issuer of REIT and InvIT:

Provided that the limit mentioned in clause (a) of sub-regulation 4 above shall be inclusive of 10 per cent limit for mutual fund scheme as specified under clause 13 (a) of Seventh Schedule.

(b) An investment strategy under Specialized Investment Fund shall not invest -

(i) more than 20 per cent of its NAV in the units of REITs and InvITs; and

(ii) more than 10 per cent of its NAV in the units of REIT and InvIT issued by a single issuer:

Provided that the limits mentioned in sub-clauses (i) and (ii) above shall not be applicable for investments in case of index fund or sector or industry specific scheme pertaining to REIT and InvIT.

(5) All other investment restrictions applicable for schemes of mutual funds as specified under Seventh Schedule shall apply to investment strategies under the Specialized Investment Fund.

Duties of Asset Management Company:

49AB. (1) The asset management company shall ensure that the Specialized Investment Fund has distinct identification, separate from that of the Mutual Fund, to maintain clear differentiation between the offerings of the Specialized Investment Fund and that of a Mutual Fund.

(2) The asset management company shall comply with the provisions relating to branding, advertising, standard disclaimers, guidelines on usage of sponsor or asset management company or mutual fund's brand name and maintenance of a separate website, as may be specified by the Board from time to time.

Duties of trustees:

49AC. (1) The trustees shall ensure that the asset management company has the necessary expertise, internal control systems and risk management mechanism to invest in and manage investments.

(2) The trustees shall ensure that the asset management company shall comply with such other requirements related to risk management, investor protection, disclosures and reporting, as may be specified by the Board from time to time.

(3) The trustees shall ensure that all activities of the Specialized Investment Fund are in accordance with the provisions of these regulations.

Disclosures in offer document and other disclosures:

49AD. (1) The offer documents of the Specialized Investment Fund shall contain disclosures which are adequate for investors to make informed investment decisions, highlighting the high-risk nature of the product, in the manner as may be specified by the Board.

(2) The portfolio disclosures in respect of a Specialized Investment Fund shall be made in the manner as may be specified by the Board."

VI. After Chapter X, the following new chapter shall be inserted, namely, -

**“CHAPTER XI
MUTUAL FUNDS LITE**

Definitions

79. (1) For the purposes of this Chapter, unless the context otherwise requires-

(a) “trustee” means a debenture trustee registered with the Board under the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993:

Provided that in case an existing sponsor transfers its eligible passive schemes from its existing mutual fund to a mutual fund lite in accordance with regulation 82, the MF Lite asset management company may appoint the existing trustee of the mutual fund as the trustee of the mutual fund Lite.

(b) “Mutual Fund Lite” or “MF Lite” means a mutual fund that has obtained registration under this Chapter and is having only such index funds, exchange traded funds, fund of funds or other mutual fund schemes as may be specified by the Board from time to time.

(c) “Mutual Fund Lite asset management company” or “MF Lite asset management company” or “MF Lite AMC” means an asset management company of a Mutual Fund Lite that has been granted approval under this Chapter.

(d) “Mutual Fund Lite scheme” or “MF Lite Scheme” means any scheme launched by a mutual fund lite or any other eligible passive scheme as may be specified by the Board from time to time.

Applicability

80. (1) The provisions of this Chapter shall be applicable to Mutual Funds Lite and Mutual Fund Lite Schemes.

(2) All other provisions of these regulations except the following provisions and the guidelines and circulars issues thereunder, unless the context otherwise requires, or is repugnant to the provisions of this Chapter, shall apply to a Mutual Fund Lite, Mutual

Fund Lite schemes, and trustees and asset management companies in relation to such mutual funds and schemes:

- i. regulation 7;
- ii. regulation 14;
- iii. regulation 15;
- iv. regulation 16;
- v. regulation 18;
- vi. clause (f) and (g) of sub regulation (1) of regulation 21;
- vii. clause (c) of regulation 22;
- viii. regulation 24;
- ix. regulation 25;
- x. regulation 25A;
- xi. sub regulation (1) of regulation 28;
- xii. regulation 38A;
- xiii. regulation 43A;
- xiv. Chapter VIA;
- xv. Chapter VIB;
- xvi. regulation 59;
- xvii. regulation 59A;
- xviii. Third Schedule;
- xix. Fourth Schedule; and
- xx. Twelfth Schedule.

Eligibility Criteria

81. For the purpose of grant of certificate of registration as a Mutual Fund Lite, the applicant has to fulfill the following requirements, namely

- (a) the sponsor should have a sound track record and general reputation of fairness and integrity in all business transactions.

Explanation: For the purposes of this clause “sound track record” shall mean the sponsor should, —

- (i) ensure that the networth is positive in all the immediately preceding five years; and
- (ii) ensure that the positive liquid networth is more than the proposed capital contribution of the sponsor in the MF Lite asset management company and ensure that in case of change in control of the existing asset management company due to acquisition of shares, the positive liquid net worth of the sponsor or funds tied up by the sponsor is to the extent of aggregate par value or market value of the shares proposed to be acquired, whichever is higher; and
- (iii) have net profit after providing for depreciation, interest and tax in three out of immediately preceding five years including the fifth year; and
- (iv) have average net annual profit after depreciation, interest and tax during the immediately preceding five years of at least rupees five crore:

Provided that if the requirements specified under Explanation to clause (a) are not fulfilled, the sponsor shall,-

- (i) adequately capitalize the MF Lite asset management company such that the net worth of the said asset management company is not less than rupees seventy five crore; and
- (ii) ensure that the initial shareholding of sponsor equivalent to capital contributed to the MF Lite asset management company to the extent of not less than rupees seventy five crore is locked-in for a period of three years; and
- (iii) appoint experienced personnel in the MF Lite asset management company such that the total combined experience of Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Compliance Officer and Chief Investment Officer shall be at least twenty years; and
- (iv) ensure that in case of acquisition of existing MF Lite asset management company, the sponsor shall have minimum positive liquid net worth equal to incremental capitalization required to ensure minimum capitalization of the MF Lite asset management company and the positive liquid net worth of the sponsor or the funds tied up by the sponsor are to the extent of aggregate par value or market value of the shares proposed to be acquired, whichever is higher;
- (v) ensure that in case of acquisition of stake in an existing MF Lite asset management company, the shareholding equivalent to at least rupees seventy five crore shall be locked in for three years.
- (vi) ensure that other conditions in this regard as may be specified by the Board from time to time are adhered to:

Provided further that a private equity fund or a pooled investment vehicle or a pooled investment fund may also be permitted to sponsor mutual funds lite subject to such other conditions as may be specified by the Board from time to time.

- (b) applicant is a fit and proper person by taking into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.
- (c) in the case of an existing mutual fund, such fund is in the form of a trust and the trust deed has been approved by the Board;
- (d) the sponsor has contributed or contributes at least 40% to the net worth of the MF Lite asset management company:

Provided that any person who holds 40% or more of the net worth of a MF Lite asset management company shall be deemed to be a sponsor and will be required to fulfill the eligibility criteria specified in these regulations;

- (e) the sponsor or any of its directors or the principal officer to be employed by the MF Lite should not have been guilty of fraud or has not been convicted of an offence involving moral turpitude or has not been found guilty of any economic offence;
- (f) appointment of debenture trustees to act as trustees for the MF Lite in accordance with the provisions of the regulations;
- (g) appointment of MF Lite asset management company to manage the MF Lite and operate the scheme of such funds in accordance with the provisions of these regulations;
- (h) appointment of custodian in order to keep custody of the securities and such other assets held by the Mutual Fund Lite as may be specified by the Board, and provide such other custodial services as may be required for managing a Mutual Fund Lite.

Norms for shareholding.

82. (1) Notwithstanding anything contained under regulation 7B of these regulations, a sponsor shall be permitted to obtain a registration as a mutual fund under Chapter II of these regulations and a separate registration as a Mutual Fund Lite under this Chapter subject to conditions specified by the Board from time to time.

(2) Notwithstanding anything contained under regulation 7B of these regulations, an existing sponsor under these regulations may transfer its passive scheme which is eligible as a mutual fund lite scheme from an existing mutual fund to a mutual fund lite belonging to a group entity of the same sponsor, subject to conditions as specified by the Board from time to time:

Provided that if an existing sponsor transfers its passive schemes from its existing mutual fund to a mutual fund lite, the existing mutual fund shall not launch any passive schemes that are eligible as mutual fund lite schemes after such transfer.

(3) Notwithstanding anything contained under regulation 7B of these regulations, an existing shareholder holding 10% or more shareholding or voting rights in an existing asset management company of the mutual fund may be allowed to hold 10% or more shareholding or voting rights in a mutual fund lite asset management company belonging to a group entity of the same sponsor.

(4) An existing mutual fund that intends to only launch mutual fund lite schemes may surrender its existing registration and migrate as a mutual fund lite under this Chapter subject to the conditions and the manner specified by the Board.

Trust deed to be registered under the Registration Act

83. A mutual fund lite shall be constituted in the form of a trust and the instrument of trust shall be in the form of a deed, as specified by the Board, duly registered under the provisions of the Registration Act, 1908 (16 of 1908), executed by the mutual fund lite asset management company in favor of the trustees named in such an instrument:

Provided that in case of disassociation of the sponsor, the signatory to the trust deed shall be as specified by the Board.

Appointment of trustee.

84. (1) Notwithstanding anything contained under regulation 7B of these regulations, a debenture trustee may be appointed as a trustee of more than one mutual fund lite.

(2) The trustee of a mutual fund lite shall be an independent entity and not an associate of the sponsor or manager of the concerned mutual fund lite asset management company.

(3) No debenture trustee shall be eligible to be appointed as a trustee under this Chapter unless it meets the criteria for a fit and proper person specified under the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993.

Rights and obligations of the trustees.

85. (1) The trustees and the MF Lite asset management company shall enter into an investment management agreement.

(2) The investment management agreement shall contain such clauses as may be specified by the Board and such other clauses as are necessary for the purpose of making investments.

(3) The trustees shall be accountable for, and be the custodian of, the funds and property of the respective mutual fund lite schemes and shall hold the same in trust for the benefit of the unitholders in accordance with this chapter and the provisions of trust deed.

(4) The trustee shall have satisfactory wherewithal with respect to infrastructure, personnel, systems etc. as may be required for the proper discharge of its duties under these regulations.

(5) The trustee shall oversee activities of the mutual fund lite asset management company in the interest of the unitholders and obtain periodic reports on its activities

and status of compliance with applicable regulations in the manner as may be specified by the Board.

(6) The trustees shall have the right to seek information from the mutual fund lite asset management companies in accordance with the trust deed.

(7) Where the trustees have reason to believe that the conduct of the business of the mutual fund lite is not in accordance with these regulations or detrimental to the interest of the unitholders, they shall forthwith take such remedial steps, as are necessary and shall immediately inform the Board of such conduct and the action taken by them.

(8) The trustees shall periodically review the status of unit holders' complaints and the redressal of the same by the mutual fund lite asset management company.

(9) The trustee shall provide consent in case of change in control of the mutual fund lite asset management company.

(10) The trustees shall ensure that mutual fund lite asset management company has not given any undue or unfair advantage to any associates or dealt with any of the associates of the mutual fund lite asset management company in any manner detrimental to interest of the unitholders.

(11) Each trustee shall file the details of his transactions of dealing in securities with the Mutual Fund Lite within the time and manner as may be specified by the Board from time to time.

(12) The trustees shall take steps to ensure that the transactions of the mutual fund lite are in accordance with the provisions of the trust deed.

(13) The trustees shall obtain the consent of the unitholders—

- (a) whenever required to do so by the Board in the interest of the unitholders; or
- (b) whenever required to do so on the requisition made by three-fourths of the unitholders of any mutual fund lite scheme; or
- (c) when the majority of the trustees decide to wind up a scheme in terms of clause (a) of sub regulation (2) of regulation 39 or prematurely redeem the units of a close ended scheme.

(14) The trustees shall call for the details of transactions in securities by the key personnel of the mutual fund lite asset management company in his own name or on behalf of the mutual fund lite asset management company and shall report to the Board, as and when required.

(15) The trustees shall quarterly review all transactions carried out between the mutual fund lite, mutual fund lite asset management company and its associates.

(16) The trustees shall ensure that there is no conflict of interest between the manner of deployment of its network by the mutual fund lite asset management company and the interest of the unit- holders.

(17) The trustees shall abide by the Code of Conduct as specified in PART-A of the Fifth Schedule.

(18) The trustees shall give their comments on the report received from the mutual fund lite asset management company regarding the investments by the mutual fund lite in the securities of group companies of the sponsor.

(19) The trustee shall ensure that the trust property is properly protected, held and administered by proper persons and by a proper number of such persons.

(20) The trustees shall also exercise due diligence on such matters as may be specified by the Board from time to time.

(21) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (20), the trustees shall not be held liable for acts done in good faith if they have exercised adequate due diligence and acted as per the terms of the trust deed.

Networth requirement for the mutual fund lite asset management company.

86. (1) The mutual fund lite asset management company shall have a networth of not less than rupees thirty five crore deployed in assets as may be specified by the Board:

Provided that the mutual fund lite asset management company may bring down the networth to rupees twenty five crore in case it has profits for five consecutive years.

(2) Where the sponsor does not fulfil the requirements provided in part (i) to (iv) of the Explanation to clause (a) of regulation 81 of these regulations at the time of making application, the mutual fund lite asset management company shall have a networth of not less than rupees fifty crore deployed in assets as may be specified by the Board:

Provided that the mutual fund lite asset management company may bring down the networth to rupees twenty five crore in case it has profits for five consecutive years.

Explanation: Any loans and advances given by a mutual fund lite asset management company to either sponsor, associates or group company of sponsor and associates or group company of mutual fund lite asset management company shall be excluded while computing the networth of the mutual fund lite asset management company.

(3) The networth of the mutual fund lite asset management company as required under sub-regulation (1) or (2) of this regulation shall be maintained on a continuous basis and it shall be the responsibility of the sponsor to ensure the same.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (3), if the total assets under management of the mutual fund lite asset management company exceeds the specified thresholds, the mutual fund lite asset management company shall abide by the net worth requirements under Chapter IV of these Regulations.

Mutual fund lite asset management company and its obligations

87. (1) The directors of a mutual fund lite asset management company shall be appointed by the sponsor and the sponsor shall exercise diligence while making such appointments.

(2) The mutual fund lite asset management company shall take all reasonable steps and exercise due diligence to ensure that the investment of funds pertaining to any mutual fund lite scheme is not contrary to the provisions of these regulations and the trust deed.

(3) The mutual fund lite asset management company shall obtain, wherever required under these regulations, prior in-principle approval from the recognized stock exchange(s) where units are proposed to be listed.

(4) The mutual fund lite asset management company shall be responsible for the acts of commission or omission by its employees or the persons whose services have been procured by the asset management company.

(5) Notwithstanding anything contained in any contract or agreement or termination, the mutual fund lite asset management company or its directors or other officers shall not be absolved of liability to the mutual fund lite for their acts of commission or omission, while holding such position or office.

(6) The Chief Executive Officer (whatever be the designation) of the mutual fund lite asset management company shall ensure that the mutual fund lite complies with all the provisions of these regulations and the guidelines or circulars issued in relation thereto from time to time and that the investments made by the fund managers are in the interest of the unit holders and shall also be responsible for the overall risk management function of the mutual fund lite.

(7) Chief Executive Officer (whatever be the designation) shall also ensure that the mutual fund lite asset management company has adequate systems in place to ensure that the Code of Conduct for Fund Managers and Dealers specified in PART - B of the Fifth Schedule of these regulations are adhered to in letter and spirit. Any breach of the said Code of Conduct shall be brought to the attention of the board of directors of the mutual fund lite asset management company and trustees.

(8) The Fund Managers (whatever be the designation) shall abide by the Code of Conduct for Fund Managers and Dealers specified in PART - B of the Fifth Schedule of these regulations and submit a quarterly self-certification to the trustees that they have complied with the said code of conduct or list exceptions, if any.

Explanation:- For the purposes of this sub-regulation, the phrase

“Fund Managers” shall include Chief Investment Officer (whatever be the designation).

(9) The Dealers (whatever be the designation) shall abide by the Code of Conduct for Fund Managers and Dealers specified in PART - B of the Fifth Schedule of these regulations and submit a quarterly self-certification to the trustees that they have complied with the said code of conduct or list exceptions, if any.

(10) The board of directors of the mutual fund lite asset management company shall ensure that all the activities of the mutual fund lite asset management company are in accordance with the provisions of these regulations.

(11) A mutual fund lite asset management company shall not:

- (a) through any broker associated with the sponsor, purchase or sell securities, which is average of 10 per cent or more of the aggregate purchases and sale of securities made by the mutual fund lite in all its schemes:

Provided that for the purpose of this clause, the aggregate purchase and sale of securities shall exclude sale and distribution of units issued by the mutual fund lite and such other transactions as may be specified by the Board:

Provided further that the aforesaid limit of 10 per cent shall apply for a block of any three months.

- (b) purchase or sell securities through any broker other than a broker referred to in clause (a) of sub-regulation (11) which is average of 25 per cent or more of the aggregate purchases and sale of securities made by the mutual fund lite in all its schemes, unless the mutual fund lite asset management company has recorded in writing the justification for exceeding the limit of 25 per cent and reports of all such investments are sent to the trustees on a quarterly basis:

Provided that for the purpose of this clause, the aggregate purchase and sale of securities shall exclude such transactions as may be specified by the Board:

Provided further that the aforesaid limit of 25 per cent shall apply for a block of three months.

(12) In case the mutual fund lite asset management company enters into any securities transactions with any of its associates a report to that effect shall be sent to the trustees at its next meeting.

(13) In case any company has invested more than 5 per cent of the net asset value of a scheme, the investment made by that scheme or by any other scheme of the same mutual fund lite in that company or its subsidiaries shall be brought to the notice of the trustees by the MF lite asset management company and be disclosed in the annual accounts of the respective schemes with justification for such investment provided the latter investment has been made within one year of the date of the former investment calculated on either side.

(14) The mutual fund lite asset management company shall file with the trustees and the Board—

- (a) detailed bio-data of all its directors along with their interest in other companies within fifteen days of their appointment;
- (b) any change in the interests of directors every six months; and
- (c) a quarterly report to the trustees giving details and adequate justification about the purchase and sale of the securities of the group companies of the sponsor or

the mutual fund lite asset management company, as the case may be, by the mutual fund lite during the said quarter.

(15) Each director of the mutual fund lite asset management company shall file the details of his transactions of dealing in securities with the trustees on a quarterly basis in accordance with guidelines issued by the Board.

(16) The mutual fund lite asset management company shall not appoint any person as key personnel who has been found guilty of any economic offence or involved in violation of securities laws.

(17) The mutual fund lite asset management company shall appoint registrars and share transfer agents who are registered with the Board:

Provided if the work relating to the transfer of units is processed in-house, the charges at competitive market rates may be debited to the scheme and for rates higher than the competitive market rates, prior approval of the trustees shall be obtained and reasons for charging higher rates shall be disclosed in the annual accounts.

(18) The mutual fund lite asset management company shall abide by the Code of Conduct as specified in PART-A of the Fifth Schedule of these regulations.

(19) The mutual fund lite asset management company shall not carry out its operations including trading desk, unit holder servicing and investment operations outside the territory of India.

(20) The mutual fund lite asset management company shall compute and carry out valuation of investments made by its scheme(s) in accordance with the investment valuation norms specified in Eighth Schedule of these regulations, and shall publish the same.

(21) The mutual fund lite asset management company and the sponsor of the mutual fund lite shall be liable to compensate the affected investors and/or the scheme for any unfair treatment to any investor as a result of inappropriate valuation.

(22) The board of directors of the mutual fund lite asset management company shall exercise due diligence as follows:

(a) The board of directors of the mutual fund lite asset management company shall ensure before the launch of any scheme that the mutual fund lite asset management company has-

- (i) systems in place for its back office, dealing room and accounting;
- (ii) appointed all key personnel including fund manager(s) for the scheme(s) and submitted their bio-data which shall contain the educational qualifications and past experience in the securities market with the trustees, within fifteen days of their appointment;
- (iii) appointed auditors to audit its accounts;
- (iv) appointed a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of the Act, rules and regulations, notifications, guidelines, instructions, etc., issued by the Board or the Central Government and for redressal of investors grievances;
- (v) appointed a registrar to an issue and share transfer agent registered under the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 and laid down parameters for their supervision;
- (vi) prepared a compliance manual and designed internal control mechanisms including internal audit systems;
- (vii) specified norms for empanelment of brokers and marketing agents;
- (viii) obtained, wherever required under these regulations, prior in principle approval from the recognized stock exchange(s) where units are proposed to be listed.

(b) The board of directors of the mutual fund lite asset management company shall ensure that -

- (i) the mutual fund lite asset management company has been diligent in empanelling the brokers, in monitoring securities transactions with brokers and avoiding undue concentration of business with specific brokers;
- (ii) the mutual fund lite asset management company has not given any undue or unfair advantage to any associate or dealt with any of the associate of the mutual fund lite asset management company in any manner detrimental to interest of the unit holders;
- (iii) the transactions entered into by the mutual fund lite asset management company are in accordance with these regulations and the respective schemes;
- (iv) the transactions of the mutual fund lite are in accordance with the provisions of the trust deed;
- (v) the mutual fund lite asset management company has been managing the mutual fund schemes independently of other activities and have taken adequate steps to ensure that the interest of investors of one scheme are not being compromised with those of any other scheme or of other activities of the mutual fund lite asset management company.
- (vi) the networth of the mutual fund lite asset management company are reviewed on a quarterly basis to ensure compliance with the threshold provided in regulation 86 on a continuous basis;
- (vii) all service contracts including custody arrangements of the assets and transfer agency of the securities are executed in the interest of the unit holders and test checks of service contracts are arranged.
- (viii) there is no conflict of interest between the manner of deployment of the networth of the mutual fund lite asset management company and the interest of the unit holders;
- (ix) the investor complaints received are periodically reviewed and redressed;
- (x) all service providers are holding appropriate registrations from the Board or with the concerned regulatory authority;
- (xi) any special developments in the mutual fund lite are immediately reported to the Board;
- (xii) there has been exercise of due diligence on the reports submitted by the mutual fund lite asset management company to the trustees;
- (xiii) there has been exercise of due diligence on such matters as may be specified by the Board from time to time.

(23) The board of directors of the mutual fund lite asset management company shall review the desirability or continuance of the mutual fund lite asset management company if substantial irregularities are observed in any of the schemes and shall not allow the mutual fund lite asset management company to float new schemes.

(24) The Board of Directors of the mutual fund lite asset management company shall be responsible for the overall risk management of the mutual fund lite asset management company as well as the mutual fund lite schemes.

(25) The independent directors of the mutual fund lite asset management company shall pay specific attention to the following, as may be applicable, namely:—

- (i) the Investment Management Agreement and the compensation paid under the agreement,

- (ii) service contracts with associates and whether the mutual fund lite asset management company has charged higher fees than outside contractors for the same services,
- (iii) selections of the mutual fund lite asset management company's independent directors,
- (iv) securities transactions involving associates to the extent such transactions are permitted,
- (v) selecting and nominating individuals to fill independent directors' vacancies,
- (vi) code of ethics must be designed to prevent fraudulent, deceptive or manipulative practices by insiders in connection with personal securities transactions,
- (vii) the reasonableness of fees paid to sponsors, mutual fund lite asset management company and any others for services provided,
- (viii) principal underwriting contracts and their renewals,
- (ix) any service contract with the associates of the mutual fund lite asset management company.

(26) The compliance officer appointed under sub-clause (iv) of clause (a) of sub-regulation (22) shall independently and immediately report to the Board any non-compliance observed by him.

(27) The mutual fund lite asset management company shall constitute a Unit Holder Protection Committee in the form and manner and with a mandate as may be specified by the Board.

(28) The mutual fund lite asset management company shall be responsible for calculation of any income due to be paid to the mutual fund lite and also any income received in the mutual fund lite, for the unit holders of any scheme of the mutual fund lite, in accordance with these regulations and the trust deed.

(29) The mutual fund lite asset management company shall ensure that no change in the fundamental attributes of any scheme or the trust, fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme and affect the interest of unit holders, shall be carried out unless,—

- (i) a written communication about the proposed change is sent to each unit holder and an advertisement is issued in one English daily newspaper having nationwide circulation as well as in a newspaper published in the language of region where the Head Office of the mutual fund is situated; and
- (ii) the unit holders are given an option to exit at the prevailing Net Asset Value without any exit load.

(30) The MF Lite asset management company shall put in place an institutional mechanism, as may be specified by the Board, for the identification and deterrence of potential market abuse including front-running and fraudulent transactions in securities.

(31) The Chief Executive Officer or Managing Director or such other person of equivalent or analogous rank and Chief Compliance Officer of the mutual fund lite asset management company shall be responsible and accountable for implementation of such an institutional mechanism for deterrence of potential market abuse, including front-running and fraudulent transactions in securities.

(32) The mutual fund lite asset management company shall establish, implement and maintain a documented whistle blower policy that shall —

- (a) provide for a confidential channel for employees, directors, trustees, and other stakeholders to raise concerns about suspected fraudulent, unfair or unethical practices, violations of regulatory or legal requirements or governance vulnerability, and
- (b) establish procedures to ensure adequate protection of the whistle blowers.

(33) The board of directors of the mutual fund lite asset management company, including any of their committees, shall meet at such frequency as may be specified by the Board from time to time.

(34) The board of directors of mutual fund lite asset management company shall furnish to the Board on a yearly basis, —

- (a) a report on the activities of the mutual fund lite;
- (b) a certificate stating that the board of directors of mutual fund lite asset management company have satisfied themselves that there have been no instances of self-dealing or front running by any of the trustees, directors and key personnel of the mutual fund lite asset management company;
- (c) a certificate to the effect that the mutual fund lite asset management company has been managing the schemes independently of any other activities and in case any activities of the nature referred to in clause (b) of regulation 88 have been undertaken by the mutual fund lite asset management company, it has taken adequate steps to ensure that the interests of the unitholders are protected.

Restrictions on business activities of the mutual fund lite asset management company.

88. The mutual fund lite asset management company shall, -

- (a) not act as a trustee of any mutual fund lite;
- (b) not undertake any business activities other than in the nature of advisory services to pooled assets only in respect of passive investments:

Provided that the asset management company may itself or through its subsidiaries undertake such activities, as permitted under clause (b), if, -

- (i) it ensures that there is no material conflict of interest across different activities;
- (ii) the absence of conflict of interest shall be disclosed to the trustees and unit holders in scheme information document and statement of additional information.
- (iii) there are unavoidable conflict of interest situations, it shall satisfy itself that disclosures are made of source of conflict, potential 'material risk or damage' to investor interests and detailed parameters for the same;
- (iv) it ensures independence to key personnel handling the relevant conflict of interest is provided through removal of direct link between remuneration to relevant asset management company personnel and revenues generated by that activity:

Procedure for launching of mutual fund lite schemes

89. (1) No mutual fund lite scheme shall be launched by the mutual fund lite asset management company unless such mutual fund lite scheme is approved by the board of directors of the mutual fund lite asset management company and a copy of the offer document has been filed with the Board."

VII. In the Fourth Schedule the 'FORM FOR NOMINATION/CANCELLATION OF NOMINATION' shall be omitted.

PRAMOD RAO, Executive Director
[ADV.T.-III/4/Exty./764/2024-25]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Principal Regulations, were published in the Gazette of India on December 9, 1996 vide S.O. No. 856 (E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 were subsequently amended—

- (1) On April 15, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No.327 (E).
- (2) On January 12, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.32 (E).
- (3) On December 8, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.1223 (E).
- (4) On March 14, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.235 (E).
- (5) On March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278 (E).
- (6) On May 22, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.484 (E).
- (7) On January 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.69 (E).
- (8) On May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.476 (E).
- (9) On July 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.698 (E).
- (10) On February 20, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.219 (E).
- (11) On June 11, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.625 (E).
- (12) On July 30, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.809 (E).
- (13) On September 9, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.956 (E).
- (14) On September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045 (E).
- (15) On May 29, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 632 (E).
- (16) On January 12, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2004 vide F.No. SEBI/LAD/DOP/4/2004.
- (17) On March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398 (E).
- (18) On January 12, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 38 (E).
- (19) On May 22, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 783 (E).
- (20) On August 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1254 (E).
- (21) On December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/82534/2006.
- (22) On December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/83065/2006.
- (23) On May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/2518.
- (24) On October 31, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/4646.
- (25) On March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/21669.
- (26) On April 16, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. LADNRO/ GN/2008/03/123042.

- (27) On May 22, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2008 vide no. LADNRO/GN/2008/09/126202.
- (28) On September 29, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2008 vide No. LADNRO/GN/2008/24/139426.
- (29) On April 8, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/01/159601.
- (30) On June 5, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD- NRO/GN/2009-10/07/165404.
- (31) On July 29, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2010-11/13/13945.
- (32) On August 30, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/27668.
- (33) On February 21, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/38/4290.
- (34) On September 26, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/17/21502.
- (35) On April 16, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/03/5652.
- (36) On June 19, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/12/6108.
- (37) On August 19, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/18/6384.
- (38) On May 6, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/01/1039.
- (39) On May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- (40) On December 30, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/19/1973.
- (41) On May 15, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2015 No. NROOIAE/GN/2015-16/005.
- (42) On February 12, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/034.
- (43) On February 15, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/031.
- (44) On March 13, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/02.
- (45) On May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/14.
- (46) On December 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/50.
- (47) On December 13, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/51.
- (48) On January 1, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/01.
- (49) On April 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/011.
- (50) On September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/37.
- (51) On March 6, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/07.

- (52) On April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (53) On October 29, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/39.
- (54) On February 4, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/08.
- (55) On August 3, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- (56) On August 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/36.
- (57) On November 9, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/56.
- (58) On January 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/70.
- (59) On August 3, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/92.
- (60) On November 16, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/106.
- (61) On February 7, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
- (62) On June 27, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/134.
- (63) On July 3, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
- (64) On August 17, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.
- (65) On July 2, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/188.
- (66) On August 2, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/197.